

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 मार्च 2017—चैत्र 7, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2017

अधि. क्र. 08-एफ-1-25-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 68 की उपधारा (1) सह पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 124 की उपधारा (ण ण) सह पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम
अध्याय—एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017” है.
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- (3) ये नियम सभी नगरपालिक निगमों, नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों की सीमाओं के भीतर लागू होंगे.

अध्याय—दो
निर्वचन तथा लागू होना

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961);

- (ख) "विज्ञापन" से अभिप्रेत है, कोई अभ्यावेदन शब्द से, या उसका संक्षेपण, अक्षर, चिन्ह, प्रतिक, हस्ताक्षर नमूना/नक्शा, चित्रकला, या अन्य सचि अभ्यावेदन, या प्रकाशित, या नाट्य जनता को भूमि के किसी स्थान से प्रत्यक्ष हो, भवन, हवाईक्षेत्र, जल नियंत्रित क्षेत्र में और/या सार्वजनिक स्थल या सार्वजनिक सड़क से प्रत्यक्ष अपवर्जित मीडिया के अध्यक्षीन तथा बाहरी मीडिया पर प्रदर्शित हो;
- (ग) "विज्ञापन करना" से अभिप्रेत है, किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने का कार्य या प्रक्रिया;
- (घ) "अभिकरण" से अभिप्रेत है, एक आवेदक जो किसी वैयक्तिक पंजीकृत धर्मार्थ संगठन, फर्म, भागदारी, आदि अथवा कंपनी अधिनियम, 1956/ 2013 के अधीन निगमित कोई कंपनी हो सकेगी;
- (ङ) "अनुमोदित" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में अनुमोदन;
- (च) "अपील समिति" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 403 या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 307 के अधीन नियुक्त समिति;
- (छ) "सूचना पट्ट/होर्डिंग" से अभिप्रेत है, विज्ञापन पैनल के रूप में विज्ञापन करने के लिए स्थान सहित आउटडोर मीडिया डिवाइस तथा जहां ऐसा पैनल किसी संरचना पर या भूमि या भवन पर उसकी नीव सहित लगा है;
- (ज) "भवन रेखा" से अभिप्रेत है, रेखा जहां तक भवन की कुर्सी किसी दिशा में वैध रूप से विस्तृत हो सकती हो जो किसी मार्ग या मार्ग के विस्तार या मार्ग के भावी निर्माण के लिए रेखांकित या आरक्षित भूमि की पट्टी से संसक्त हो तथा ऐसी रेखा क्षेत्राधिकार रखने वाले शासकीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना या समन्वित योजना या स्कीम में इस प्रकार विहित की गई हो;

- (झ) "वाहन मार्ग" से अभिप्रेत है, सड़क की चौड़ाई जहां वाहन बिना किसी बाधा के स्वतन्त्र रूप से चलते हैं। वाहन मार्ग एकल या द्वय वाहन मार्ग के रूप में और वर्गीकृत हो सकते हैं;
- (ञ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, उपबंधों को क्रियान्वित कराने तथा प्रवृत्त कराने के लिए नगर पालिक प्राधिकारी द्वारा इन नियमों में वर्णित प्राधिकृत कोई अधिकारी;
- (ट) "नगर पालिक क्षेत्र" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन यथा परिभाषित नगरपालिक क्षेत्र की क्षेत्राधिकारिता में हवाई क्षेत्र सहित भौगोलिक क्षेत्र;
- (ठ) "प्रदर्शन" से अभिप्रेत है, किसी विज्ञापन का प्रदर्शन;
- (ड) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है, भारतीय निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन होने वाले राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्वायत्त शासन का निर्वाचन और कोई उपनिर्वाचन;
- (ढ) "गैन्ट्री" से अभिप्रेत है, सड़क के दोनो ओर खड़ी की गई संरचना, सामान्यतः यातायात की दिशा के सामने वाले भाग पर विज्ञापन सहित, सड़क के दोनो ओर स्तंभों के सिरो को मिलाने वाले बीम के आकार के भाग के साथ सड़क के दोनो ओर स्थापित धातु इत्यादि के अनुभाग स्तंभ;
- (ण) "भारतीय सड़क कांग्रेस (आई आर सी) संहिता" से अभिप्रेत है, लागू भारतीय सड़क कांग्रेस संहिता, तथा उसके अधीन बनाए गए कोई विनियम;
- (त) "हितबद्ध पक्षकार" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति/अभिकरण जिसने इन मीडिया नियमों के निबन्धनों के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है या किसी ऐसे आवेदन के संबंध में टिप्पणी या आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;
- (थ) "चौराहा/जंक्शन" से अभिप्रेत है, यातायात के लिए खुला दो या दो से अधिक सार्वजनिक मार्गों की पार्श्व सीमा रेखाओं के दीर्घीकरण (फैलाव) के भीतर समाविष्ट क्षेत्र, जो एक दूसरे से किसी कोण पर मिलती हो, चाहे ऐसी सार्वजनिक सड़क अन्य सड़क को काटती हो या नहीं;

- (द) "एल ई डी/इलेक्टॉनिक होर्डिंग" से अभिप्रेत है, कम्प्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर या किसी अन्य साधन से गतिमान पाठ्य संदेशों को प्रदर्शित करने के लिए एलईडी या एलसीडी अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्रोत से निर्मित, प्रदर्शन सहित कोई आउटडोर मीडिया डिवाइस;
- (ध) "मोबाइल प्रदर्शन विज्ञापन" से अभिप्रेत है, वाहन के ऊपर या पीछे ऐसी रीति में लगाया गया द्वय या एकल दिशा आउटडोर मीडिया डिवाइस या पैनल, जिससे कि विज्ञापन के बेहतर प्रदर्शन के लिए उसे आस-पास चलाया जा सके या युक्ति-युक्त स्थानों पर खड़ा किया जा सके;
- (न) "नगरीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, संबंधित आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी या इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई कोई अन्य संस्था;
- (प) "राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी)" से अभिप्रेत है, अद्यतन राष्ट्रीय भवन संहिता और उसके अधीन बनाए गए कोई विनियम;
- (फ) "बाह्य विज्ञापन" से अभिप्रेत है, वह विज्ञापन जो उपभोक्ताओं तक तब पहुंचता हो, जब वे अपने घर से बाहर हों;
- (ब) "आउटडोर मीडिया डिवाइस या ओ.एम.डी." से अभिप्रेत है, नियम 5 में यथा उपवर्णित डिवाइस;
- (भ) "स्वामी" से अभिप्रेत है, निजी सम्पत्ति का विधिक स्वामी;
- (म) "सम्पत्ति" से अभिप्रेत है, किसी निजी या सार्वजनिक भूमि, जल, हवाई क्षेत्र की कोई इकाई जिसमें सार्वजनिक स्थान सम्मिलित है जो एक पृथक स्थान/आईडी के रूप में पंजीकृत/प्रलेखीकृत हो तथा ऐसा स्थान भी सम्मिलित है जिन्हें भूमि, जल एवं हवाई क्षेत्र या कोई सार्वजनिक स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;
- (य) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है, कोई स्थान जो जनता के उपयोग या मनोरंजन के लिए खुला और/या निर्दिष्ट हो चाहे ऐसा स्थान नगरीय प्राधिकरण में निहित हो या न हो;

- (यक) "सार्वजनिक मार्ग" से अभिप्रेत है, कोई सड़क, मार्ग या सम्पूर्ण किराए या अन्य मार्गाधिकार के माध्यम से जिस पर जनता को पहुंचने का अधिकार हो या जिसका जनता द्वारा सामान्य रूप से उपयोग किया जाता हो तथा जिसमें फुटपाथ को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक मार्ग के मार्गाधिकार का कोई भाग सम्मिलित है;
- (यख) "मार्गाधिकार या आर ओ डब्ल्यू" से अभिप्रेत है, भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा यथाविहित किसी सार्वजनिक मार्ग या ऐसे सार्वजनिक मार्ग के दोनो ओर भवन रेखाओं के बीच की पूर्ण चौड़ाई जिसमें मध्यरेखा, वाहन मार्ग, उपसड़क, पटरी तथा फुटपाथ/पगडंडी तथा उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र;
- (यग) "सड़क यातायात चिन्ह" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई सड़क यातायात चिन्ह और यातायात संकेतक जो भारतीय सड़क कांग्रेस या किसी ऐसे लागू अधिनियम/नियम में अनुध्यात है;
- (यघ) "स्वयं विज्ञापन करना" से अभिप्रेत है, प्रकाशित या गैर प्रकाशित नाम पटल जिस पर स्वयं के किसी वाणिज्यिक व्यवसायिक, या सामाजिक गतिविधि का केवल नाम, पता तथा ब्यौरे प्रदर्शित हो, जो उसी परिसर या दुकान, जैसी भी दशा हो, सम्पन्न की जा रही हो ;
- (यङ) "मार्ग सज्जा विज्ञापन" से अभिप्रेत है, किसी सार्वजनिक सुविधा या सरंचना पर प्रदर्शित कोई विज्ञापन जो मुख्यतः विज्ञापन करने के लिए आशयित नहीं है और इसमें बैठने की बेंच, पेड़ों के गमले, फुटपाथ पर रखे कचरे के डिब्बे, खम्भे पर लगे कचरे के डिब्बे, लोक परिवहन, पगडंडी पर लगी घड़ी, उपनगर के नाम सूचक डिवाइस और मार्गों के नाम, प्याऊ संडकबंदी, यातायात अवरोध इत्यादि दर्शाने वाले डिवाइस सम्मिलित हैं, जो कि मार्ग सज्जा के प्रयोजन मूलक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उचित माप और आकार के या तो प्रत्यक्ष रूप से चिपकाए/जड़े हुए या पैनल के रूप में या किसी अन्य रीति में रंगचित्रित या लिखित या प्रदर्शित विज्ञापन सहित हो;
- (यच) "सरंचनात्मक इंजीनियर" से अभिप्रेत है, सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नात्कोत्तकर उपाधि तथा नगर पालिक प्राधिकरण से पंजीकृत/सूचीबद्ध कोई व्यक्ति;

- (यछ) "संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र" से अभिप्रेत है, किसी संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा जारी किया गया संरचनात्मक सुरक्षा तथा स्थिरता के बारे में प्रमाण पत्र;
- (यज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (यझ) "अस्थायी विज्ञापन" से अभिप्रेत है, किसी आगामी आयोजन के लिए 30 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रदर्शित विज्ञापन/आउटडोर मीडिया डिवाइस, जिसमें मनोरंजन के कार्यक्रम, उत्सव, मेला, व्यापार मेला, सम्मेलन, रोड-शो आदि सम्मिलित हैं;
- (यञ) "नगरीय रचना" से अभिप्रेत है, भवनों, लोक स्थानों के बीच तथा उनके चारों ओर नगरीय स्थान की विशेष तथा सौन्दर्यपरक विशेषताओं को धारित करने तथा प्रबंधन करने की कार्रवाईयां, जिसमें भौतिक घटक सम्मिलित ह, जो मार्ग दृश्य तथा भवन के अग्रभाग तथा अन्य संरचनाओं के संयुक्त दृश्य, प्रभाव बनाते हो;
- (यट) "वाहन" में बाइसिकल टाईसाइकिल, मोटर कार तथा प्रत्येक पहिएदार चलवाहन सम्मिलित हैं, जो सार्वजनिक सड़क पर उपयोग में लाए जाते हैं या उपयोग में लाए जाने योग्य ह;
- (यठ) "भित्ति रंगचित्र विज्ञापन" से अभिप्रेत है, कोई विज्ञापन जो किसी दीवार या भवन की संरचना या किसी सिविल संरचना पर प्रत्यक्ष रंगचित्र/लिखित द्वारा प्रदर्शित किया गया है;
- (यड) "दीवार आच्छादन" से अभिप्रेत है, किसी भवन की दीवारों की सतह पर रंगचित्रित किया गया/चिपकाया गया/जड़ा गया विज्ञापन जो भवन की दीवार को अच्छादित करने/अग्रभाग का रूप देने के लिए वास्तुकला के रूप में उपयोग किया गया हो।

अनुपालन की अवधि.— समस्त विद्यमान आउटडोर मीडिया डिवाइस, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से नब्बे (90) दिन की कालावधि के भीतर इन नियमों का अनुपालन करेगी:

परंतु जहा कोई आउटडोर मीडिया डिवाइस नगरपालिक प्राधिकरण द्वारा नीलामी के पश्चात किसी संविदा अवधि के लिए संस्थापित की गई हो, ये नियम संविदा अवधि के पश्चात लागू होंगे। यदि पूर्व कथित संविदा अवधि का विस्तार किया जाता है तो ये उपबंध लागू नहीं होंगे।

अध्याय— तीन

आवेदन तथा अनुमोदन की प्रक्रिया

4. पंजीकरण के लिए आवेदन.—

- (1) निजी सम्पत्ति की दशा में, केवल सम्पत्ति के स्वामी ही सक्षम प्राधिकारी से आउटडोर मीडिया डिवाइस संस्थापन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए प्ररूप—एक (पंजीकरण संस्था) में निर्धारित आनलाईन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पंजीयन कराएंगे।
- (2) यह पंजीकरण ऐसे स्व—विज्ञापको के साथ—साथ सम्पत्ति के स्वामियों के लिए भी अनिवार्य है जो अपने परिसरों पर आउटडोर मीडिया डिवाइस संस्थापित करना चाहते हैं।
- (3) यह पंजीकरण ऐसे स्व—विज्ञापकों के लिए जो आउटडोर मीडिया डिवाइस संस्थापित करना चाहते हैं, पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष तथा अन्य सम्पत्ति के स्वामियों के लिए तीन वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा।
- (4) स्व—विज्ञापनदाता को छोड़कर अन्य पंजीकरण करने वाली संथा, अनुसूची के खण्ड एक. में वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करेगी।
- (5) सक्षम प्राधिकारी पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, प्ररूप— चार में दिए अनुसार प्ररूप में उसे खारिज या स्वीकृत करेगा।

5. आउटडोर मीडिया डिवाइस के प्रकार.—

(1) आउटडोर मीडिया डिवाइस को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

प्रकार	विवरण
क	लोक यातायात सेवाओं/स्ट्रीट फर्नीचर पर आउट डोर मीडिया डिवाइस
क1	बस और मध्यवर्ती लोक परिवहन आश्रय
क2	बस और मध्यवर्ती लोक परिवहन (आई0पी0टी0) माग संकेतक
क3	एफ0ओ0बी0, गेन्ट्री, शौचालय खंड और मुत्रालय आदि
क4	साइकल स्टेशन
क5	पुलिस बूथ, पार्किंग बूथ, टेलीफोन बूथ, प्रो-पेड टेक्सी बूथ, बस/रेल बुकिंग सूचना बूथ, प्याऊ, वेन्डिंग गुमटी, कालोनियों के बाहर सुगम बनाने की निर्देशिका/बिलों के भुगतान, सड़क बंदी आदि
क6	बैठने की बैन्च, कचरा रखने के डिब्बे आदि
क7	सूचना पैनल, खम्भे पर लगे एम0यू0पी0आई0 (सूचना के लिए मार्गसज्जा)
क8	खम्भा या पिलोन पर लगे उपकरण
ख	लोक परिवहन सेवाओं पर विज्ञापन-आउट डोर मीडिया डिवाइस
ख 1	मेट्रो/एम0आर0टी0एस0 अधोसंरचना
ख 2	लोक परिवहन वाहन
ग	सार्वजनिक भूमि पर वाणिज्यिक विज्ञापन संरचना आउटडोर मीडिया डिवाइस
ग1	यूनिपोल/होर्डिंग/बिल बोर्ड
ग2	भित्ती आच्छादन
ग3	भित्ती चित्रण/लेखन
घ	निजी भूमि पर वाणिज्यिक विज्ञापन संरचना-आउटडोर मीडिया डिवाइस
घ1	यूनिपोल/होर्डिंग/बिल बोर्ड
घ2	भित्ती आच्छादन
घ3	भित्ती चित्रण/लेखन

प्रकार	विवरण
ड	अस्थायी कार्यक्रम
च	भू-दृश्य आउट डोर मीडिया डिवाइस
छ	दुकान का बोर्ड
ज	अभिनव विज्ञापन
झ	सिनेमा विज्ञापन—सिनेमा में स्क्रीन पर विज्ञापन जिसमें स्लाइड और विज्ञापन फिल्म सम्मिलित हैं। (चलचित्र विज्ञापन)
ञ	वाणिज्यिक भवन और सार्वजनिक भवनों के भीतर विज्ञापन

- (2) अवलम्बन देने वाली संरचना में चौंध रोकने के लिए एक गैर प्रतिबिम्बित परिसज्जा होगी। आउटडोर मीडिया डिवाइस संरचना को हर समय संधारित रखा जाएगा। यह ऐसे रंगों से पोती जाएगी जो एकसा और आस पास की सुंदरता में वृद्धि करता हो।
- (3) ऐसे आउटडोर मीडिया डिवाइस जो आउटडोर मीडिया डिवाइस के प्ररूप में परिभाषित नहीं है और जो प्रतिषिद्ध में से नहीं हैं, को "अभिनव विज्ञापन" के रूप में विचार किया जाएगा।

6. आउटडोर मीडिया डिवाइस का अनमोदन (निजी भूमि पर).—

- (1) किसी निजी संपत्ति के लिए आवेदन संपत्ति के स्वामी/आवेदक (जैसा लागू हो) द्वारा प्ररूप-दो के अनुसार सूचना प्रस्तुत कर किया जाएगा।
- (2) आवेदन प्ररूप के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे—
 - (क) आवेदन प्रकिया शुल्क अनुसूची के अनुसार होगा;
 - (ख) उस संपत्ति के संबंध में नगरपालिक प्राधिकरण से अदेय प्रमाण-पत्र, जिसके लिए आवेदन किया गया है;

- (ग) आउटडोर मीडिया डिवाइस की प्रस्तावित स्थिति (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, निर्देशांक सहित) तथा प्रस्तावित आउटडोर मीडिया डिवाइस से 25 मीटर के घेरे के भीतर स्थित किसी अन्य संरचना, भवन, आउटडोर मीडिया डिवाइस से संबंधित दूरियों को इंगित करते हुए, स्थानीय योजना सीमांत खुला क्षेत्र, मार्गों की सूची, रंग में दर्शित करते हुए रेखाचित्र;
- (घ) जहां लागू हो, वहां इन नियमों के निबंधन में/विज्ञापन परिक्षेत्रीय नक्शा/मास्टर प्लान, उस संपत्ति की प्रस्तावित अवस्थिति की श्रेणी जिसके ऊपर आउटडोर मीडिया डिवाइस संस्थापित किया जाना है, को इंगित करें;
- (ङ) आउटडोर मीडिया डिवाइस के आयामों तथा अवस्थिति दर्शाने वाले पूर्ण विनिर्देश एवं रेखाचित्र;
- (च) आकृति और संरचना को, उसकी नींव के दृष्टिकोण से जो तथा अत्यधिक वायु की स्थिति, भूकम्प सहन कर सके, मिट्टी धारण क्षमता की दृष्टि से सुरक्षा स्थिरता पहलू के संबंध में संरचना इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और प्रचलित भवन उपविधियों तथा राष्ट्रिय भवन संहिता (एनबीसी), तथा इनके अधीन समय-समय पर बनाए गए मानकों और मार्गदर्शनों का पालन करेगा। ब्यौरे में किसी अन्य विधि के अनुपालन के प्रमाण सम्मिलित करते हुए, समस्त सहायक ढांचा लंगरगाह के समस्त अवयवा की माप तथा डिजाइन, गणनाएं सम्मिलित होंगी, लागू अधिनियमों एवं संहिता मार्गदर्शन सम्मिलित हैं किन्तु उन तक सीमित नहीं है।
- (छ) यदि प्रस्तावित आउटडोर मीडिया डिवाइस को किसी भवन के अग्रभाग पर संलग्न या प्रदर्शित किया गया है, तो माप के साथ अनुमोदित भवन योजना और प्रस्तावित आउटडोर मीडिया डिवाइस के ब्यौरे, माप तथा अवस्थिति तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार योग्य मापन तक भवन पर प्रत्येक विद्यमान आउटडोर मीडिया डिवाइस के ब्यौरे तथा अवस्थिति; और

- (ज) आवेदन प्ररूप (प्ररूप-तोन) में अन्य कोई अद्यतन जानकारी जो नगरीय प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर, अपेक्षित की जाए।
- (झ) इस संबंध में स्वप्रमाणन क विज्ञापन के प्रयोजन के लिए सम्पत्ति काई प्रतिषिद्ध परिक्षेत्र में नहीं हैं,
- (3) सक्षम प्राधिकारी किसी आवेदन को स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा यदि—
- (क) नियम 6 के उपनियम (2) की किसी अपेक्षा का पालन न किया गया हो; या
- (ख) आवेदन किसी ऐसे आउटडोर मीडिया डिवाइस से संबंधित है जो नियम 14 के निबंधन में प्रतिषिद्ध है।
- (ग) किसी अन्य कारण हेतु जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि यह लोक हित में नहीं है।
- (4) यदि उपरोक्त नियम 6 के उपनियम (2) के निबंधनों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध जानकारी प्रथम लिखित अनुरोध की तारीख से तीस (30) दिन के भीतर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो संबंधित आवेदन, आवेदक को बगैर सूचना दिये निरस्त कर दी जाएगी।

7. मूल्यांकन एवं अनुमोदन.—

- (1) नियम 4 के निबंधन के अनुसार किसी आवेदन का मूल्यांकन करते समय, सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि आवेदन इन नियमों के अनुपालन में है। सक्षम प्राधिकारी सुनवाई का सम्यक अवसर देने के पश्चात् आवेदन को स्वीकृत अथवा निरस्त कर सकेगा।

(2) अनुमोदन नीचे यथानिर्दिष्ट अवधि के लिए होगा:

प्रकार	विवरण	अवधि
क	लोक परिवहन सेवाओं/स्ट्रीट फर्नीचर पर आउटडोर मीडिया डिवाइस	सक्षम प्राधिकारी तथा स्वामि/अभिकरण के बीच अनुबंध की अवधि के बराबर
ख	लोक परिवहन सेवाओं पर विज्ञापन – आउटडोर मीडिया डिवाइस	सक्षम प्राधिकारी तथा स्वामि/अभिकरण के बीच अनुबंध की अवधि के बराबर
ग	सार्वजनिक भूमि पर वाणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर आउटडोर मीडिया डिवाइस	3 वर्ष
घ	निजी भूमि पर वाणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर आउटडोर मीडिया डिवाइस	3 वर्ष
ङ	अस्थायी कार्यक्रम	कार्यक्रम की अवधि के अनुसार
च	भू-दृश्य आउटडोर मीडिया डिवाइस	प्राधिकार अवधि के अनुसार
छ	दुकान का बोर्ड	3/ 10 वर्ष
ज	अभिनव विज्ञापन	प्राधिकार अवधि के अनुसार
झ	सिनेमा विज्ञापन—सिनेमा में—स्क्रीन पर विज्ञापन जिसमें स्लाइड और विज्ञापन फिल्म सम्मिलित हैं। (चलचित्र विज्ञापन)	3 वर्ष
ञ	वाणिज्यिक भवनों और सार्वजनिक भवनों के भीतर	3 वर्ष

• स्व विज्ञापन के लिए 10 वर्ष और अन्य साइनेज के लिए 3 वर्ष ।

(3) सक्षम प्राधिकारी पन्द्रह दिनों के भीतर लिखित में और इलेक्टॉनिक रूप में यथा प्ररूप—पांच में संलग्न प्रारूप के अनुसार आवेदक को अपना आशय पत्र प्रेषित करेगा।

(4) स्वामी/अभिकरण द्वारा आशय पत्र जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक भुगतान करने को अपेक्षा की जायेगी।

- (5) स्वामी/अभिकरण से आवश्यक भुगतान प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन के निर्बंधन तथा शर्तों को प्रकट करते हुए, औपचारिक अनुमोदन पत्र जारी करेगा।
- (6) इन नियमों के निर्बंधनों में प्रदान किए गए अनुमोदन का यह प्रभाव नहीं होगा कि:-
- (क) विज्ञापन करने पर लागू किसी अन्य विधि के किसी उपबंध से किसी व्यक्ति को छूट दी गई है; या
- (ख) किसी आउटडोर मीडिया डिवाइस के स्वामी/अभिकरण को यह सुनिश्चित करने के कर्तव्य से छूट दी गई है कि ऐसी आउटडोर मीडिया डिवाइस को इन नियमों के उपबंधों तथा प्रवृत्त कोई अन्य विधि जिसमें वृहत स्तर पर आम नागरिकों का बचाव व सुरक्षा सम्मिलित है, के अनुसार परिकल्पित, स्थापित, संपूरित, प्रदर्शित एवं संधारण किया जाता हो;

8. अनुमोदनों का प्रत्याहरण और संशोधन.-

- (1) सक्षम प्राधिकारी, नियम 7 के निबंधनों के अनुसार प्रदान किये गए अनुमोदन का प्रत्याहरण या ऐसे अनुमोदन के संबंध में किसी शर्त को संशोधित या कोई और शर्त अधिरोपित कर सकेगा यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में संबंधित आउटडोर मीडिया डिवाइस-
- (क) पर्यावरण की प्रकृति या ऐसे अनुमोदन के समय विद्यमान पास-पड़ोस, मार्गदृश्य या नगरीय डिजाइन की रमणीयता के परिवर्तन के परिणामस्वरूप है, उस क्षेत्र के लिए उसकी माप, प्रकाश की तीव्रता, डिजाइन, कार्यकुशलता सामग्री या उसके अस्तित्व के कारण में जिसमें वह स्थित है या अहितकर हो गई है;
- (ख) किसी व्यक्ति या संपत्ति या परिवहन सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हो या बन गई है;
- (ग) किसी अन्य आउटडोर मीडिया डिवाइस, प्राकृतिक गुण या वास्तुशिल्प गुण या नगर विषयक दृश्य लाईन, वास्तुशिल्प, ऐतिहासिक या धरोहर महत्व को कम कर रहा हो;
- (घ) उसका एक या पूरा भाग किसी दुर्घटना के कारण या किसी अन्य कारण से गिरता है;

- (ड) उस भवन या संरचना में परिवर्धन या परिवर्तन किया गया जाता है और ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन से आउटडोर मीडिया डिवाइस या उसके किसी भाग में व्यवधान होता हो;
- (च) भवन या संरचना या संपत्ति जिसके ऊपर आउटडोर मीडिया डिवाइस संस्थापित किया गया है, ध्वस्त कर दी जाए या नष्ट कर दी जाए; और
- (छ) सम्पत्ति से संबंधित संपत्ति कर एवं अन्य नगरपालिक भार नियत समय में भुगतान नहीं किए जाते हैं।
- (2) सक्षम प्राधिकारी अपने विनिश्चय को संबंधित आउटडोर मीडिया डिवाइस के स्वामी/अभिकरण को लिखित में अधिसूचित करेगा और यह कि वह नियमानुसार नोटिस की तामीली तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रस्तावित विनिश्चय के संबंध में लिखित में अभ्यावेदन कर सकेगा।
- (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंशिक या पूर्णरूप से अनुमति प्रत्याहरण करने की दशा में, संपत्ति के स्वामी को उसकी जोखिम और व्यय पर 7 दिनों के भीतर आउटडोर मीडिया डिवाइस को, जैसी भी दशा हो, हटाना या संशोधित करना होगा तथा अनुज्ञप्ति शुल्क की शेष राशि ऐसे पूर्ण प्रत्याहरण के 30 दिनों के भीतर संपत्ति स्वामी को वापिस की जाएगी।

अध्याय—चार

नगरपालिक प्राधिकरण के लिए क्रियान्वयन पद्धति

9. नगरपालिक प्राधिकरण की संपत्ति पर आउटडोर मीडिया डिवाइस.—

- (1) नगरपालिक प्राधिकरण, आउटडोर मीडिया प्रबंधन के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन करेगा और एक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करेगा। सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के भीतर स्थानों तथा सम्पत्तियों की पहचान करेगा, जहां वह नवीन आउटडोर मीडिया डिवाइस लगाए जाने की अनुमति देगा तथा क्रियान्वयन तथा निगरानी योजना तैयार करेगा।
- (2) जब और जहां भी आवश्यक हो, यथोचित अभिकरण/अभिकरणों के चयन के लिए ऐसे चिन्हांकित स्थानों की एक खुली, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बोली, ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से कराई जाएगी।
- (3) नगरपालिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया सक्षम प्राधिकारी, आउटडोर विज्ञापन परिक्षेत्रीय/मास्टर प्लान तैयार करेगा एवं क्लस्टर/परिक्षेत्रों में

आउटडोर मीडिया को वर्गीकृत करेगा तथा परियोजनाओं (स्थलों) की पहचान कर निम्नानुसार क्रियान्वित करेगा :-

(क) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी) संरचना के अधीन, और यदि सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी) के अधीन संभव नहीं है तब,-

(ख) विज्ञापन अधिकार/लाईसेन्स मॉडल के अधीन।

(ग) कोई अन्य राजस्व मॉडल।

(4) उपरोक्त पहचानी गई क्रियान्वयन संरचना के निबंधन के अनुसार, परियोजनाओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक खुली पारदर्शी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी कराई जाएगी।

10. अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के परिसरों पर आउटडोर मीडिया डिवाइस.-

(1) कोई सार्वजनिक स्थान जो केन्द्र/राज्य सरकार या उसके उपक्रम आदि के परिसर में नहीं है, दृश्य/श्रव्य या सामने वाली विज्ञापन या आउटडोर मीडिया डिवाइस चाहे उनके स्वयं के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त निजी अभिकारकों द्वारा संस्थापित/प्रदर्शित हो, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रशासित होंगे।

(2) कोई सार्वजनिक से जो केन्द्र/राज्य सरकार या उसके उपक्रम आदि के परिसर में नहीं है, दृश्य/श्रव्य या सामने वाली केन्द्रीय/राज्य सरकार या उनके उपक्रम आदि परिसरों पर आउटडोर मीडिया डिवाइस की अनुमति के लिए, अभिकरण को संबंधित प्राधिकारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात, इन नियमों में वर्णित विहित रीति में संबंधित सक्षम प्राधिकारी को पंजीयन करना होगा।

(3) संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार या उनके उपक्रमों से नियम 10 के उपनियम (1) तथा (2) के अनुसार अभिकरणों के नाम उनके परिसर पर आउटडोर मीडिया डिवाइस की अवस्थिति, आकार, आवंटित अवधि और सभी अन्य ब्यौरे प्रदान करने की अपेक्षा की जाएगी।

(4) अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु मांग पत्र (नोटिस) प्रासंगिक वर्गीकरण के अनुसार इन नियमों की अनुसूची के अनुसार संबंधित अभिकरण को भेजा जाएगा और अभिकरण उक्त राशि को 15 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी को जमा करेगा।

(5) माननीय न्यायालय के विशेष निर्देश अनुसार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आउटडोर मीडिया डिवाइस की अनुमति समाप्त होने पर संबंधित आउटडोर मीडिया

डिवाइस को हटाने की जिम्मेदारी संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार या उनके उपकरणों, रेल्वे, भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण, बस स्टैण्ड इत्यादि की होगी।

- (6) नियम 10 के अधीन आने वाले समस्त अभिकरणों के लिए इन नियमों के समस्त उपबंध लागू होंगे।

11. विज्ञापन अनुज्ञप्ति शुल्क.—

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 132 तथा 133 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 129 के उपबंधों के अनुसार, नगरपालिक प्राधिकरण को कर और शुल्क अधिरोपित करने का अधिकार दिया गया है।

- (1) विज्ञापन अनुज्ञप्ति शुल्क जिसमें राजस्व का अंश सम्मिलित है, जो अग्रिम रूप से त्रैमासिक आधार पर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संविदा के उपबंधों के अनुसार विनिश्चित उस अभिकरण/स्वामी द्वारा देय होगा जिसे इन नियमों की अनुसूचों के निबंधनों के अनुसार कार्य/टेका अनुज्ञात किया गया है।
- (2) किसी नए विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिए तब तक अनुज्ञप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुमोदन की शर्तों के अनुसार विज्ञापन अनुज्ञप्ति शुल्क को अग्रिम रूप से, सक्षम प्राधिकारी को जमा नहीं कर दिया जाए।
- (3) पंजीकृत संस्था, अनुज्ञप्ति शुल्क के अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी को अग्रिम देय त्रैमासिक अनुज्ञप्ति शुल्क के समतुल्य राशि या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संविदा के उपबंधों के अनुसार पूरी अनुज्ञप्ति अवधि के लिए वैध राशि की बैंक प्रतिभूति, निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।
- (4) सक्षम प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति, इन नियमों के अधीन नगरीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त "अपील समिति" के समक्ष अपील कर सकेगा तथा समिति का निर्णय अंतिम होगा, परंतु कोई भी अपील तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि देय कर और/या शुल्क की राशि जमा न कर दी गई हो।

12. अनुज्ञप्ति शुल्क का सममुदेशन.—

इन नियमों के अधीन नगरपालिक प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत किया गया अनुज्ञप्ति शुल्क, परिचालन शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए समनुदेशित किया जाएगा। यह समनुदेशन इन नियमों के अधीन प्राप्त कुल राजस्व के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगा। नगरपालिक क्षेत्रों में जहां शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली लागू की गई है तो ये उपबंध शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के संचालन में आने की तारीख से लागू होंगे।

अध्याय—पांच

सामान्य अपेक्षाएं, छूट और प्रतिषेध

13. आउटडोर मीडिया डिवाइस के लिए सामान्य आवश्यकताएं.—

- (1) किसी आउटडोर मीडिया डिवाइस का स्वामी इन नियमों का सतत पालन सुनिश्चित करेगा।
- (2) किसी आउटडोर मीडिया डिवाइस के स्वामी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आउटडोर मीडिया डिवाइस इस प्रकार डिजाइन या स्थापित नहीं किया गया हो कि—
 - (क) पर्यावरण की प्रकृति, मार्गदृश्य या नगरीय डिजाइन के लिए अहितकर है या उस भवन की वास्तुकला को अनियमित माप, रूप, प्रकाश की तीव्रता, कार्य कुशलता, डिजाइन या उसके अस्तित्व के कारण हानिकारक है जिस पर या जहां ऐसा डिवाइज लगाना है;
 - (ख) पूर्व में लगाए गए किसी आउटडोर मीडिया डिवाइस को पूर्णतः या भागतः बाधित करता हो;
 - (ग) किसी व्यक्ति या सम्पत्ति या परिवहन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता हो;
 - (घ) उस सम्पत्ति के, जिस पर उसे लगाया जाना है या प्रदर्शित किया जाना है, परियोजनाओं की सीमाओं के बाहर हो;
 - (ङ) जिसका परिणाम सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी सार्वजनिक स्थान के किसी वृक्ष को हटाया जाना हो या क्षतिकारित करना हो;
 - (च) दिखने में भद्दा हो और इन नियमों में विहित की गई न्यूनतम दूरी का अनुपालन न होता हो;
 - (छ) आग से निकल भागने या उस पर पहुंच बनाने या आग से निकल भागने के निर्गम या प्रचलित विधि/नियमों में दर्शित ओवर हेड पावर लाईन के संबंध में न्यूनतम निकासी का अनुपालन करना बाधित होता हो।
- (3) किसी सार्वजनिक मार्ग पर या सार्वजनिक मार्ग के सम्मुख स्थित किसी ऐसे आउटडोर मीडिया डिवाइस जिसमें राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके सम्मुख

आउटडोर मीडिया डिवाइस भी सम्मिलित है, निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी:

- (क) किसी सार्वजनिक सड़क, जिसमें वाहन मार्ग, चाहे राज्य या राष्ट्रीय राज्य मार्ग सम्मिलित हैं, के उसी ओर आउटडोर मीडिया डिवाइस या विज्ञापनों के बीच अध्याय-आठ में दी गई न्यूनतम दूरी रखी जाएगी: और
- (ख) कोई भी आउटडोर मीडिया डिवाइस किसी प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर और सड़क परिवहन संकेत के ऊपर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- (4) कोई भी आउटडोर मीडिया डिवाइस किसी मार्ग संगम की दशा में भारतीय सड़क कांग्रेस के उपबंधों के अनुसार स्थित होगा और किसी सार्वजनिक सड़क में अवस्थित आउटडोर मीडिया डिवाइस के लगाने या उसके संधारण करने के दौरान परिवहन किसी भी दशा में बाधित नहीं होगा, परंतु पूर्व सावधानियाँ अपनाई जाएंगी और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी।
- (5) आउटडोर मीडिया डिवाइस के अनुमोदन पर सक्षम प्राधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना परिवर्तन, संशोधन, हटाया जाना, पुनः लगाया जाना या उन्नयन नहीं किया जाएगा, सिवाय संधारण कार्य के, जो कि आउटडोर मीडिया डिवाइस के रखरखाव के लिए आवश्यक हो।
- (6) इन नियमों के निबंधनों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल अनुमोदित स्थलों को विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए विज्ञापन के प्रदर्शन हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

14. छूट प्राप्त आउटडोर मीडिया डिवाइस तथा विज्ञापन,—

निम्नलिखित आउटडोर मीडिया डिवाइस एवं विज्ञापनों को नियम 4 के उपबंधों के अनुपालन से छूट प्रदान की गई है, किन्तु उन्हें इन नियमों तथा अन्य लागू विधियों के उपबंधों का पालन करना होगा :

- (क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित होता हो, यदि विज्ञापन उस बिल्डिंग में संचालित किसी व्यवसाय या किसी कारोबार से संबंधित है;
- (ख) ऐसी भूमि या भवन के नाम से संबंधित है जिसके ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, या ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम से है;
- (ग) केन्द्र/राज्य सरकार संगठनों के व्यवसाय से संबंधित हो और संबंधित संगठनों के परिसरों के भीतर या उसकी किसी दीवार या अन्य संपत्ति पर प्रदर्शित किया जाता है:

- (घ) भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम की उद्घोषणा करने वाली नाम पट्टिका हो और/या उस भवन का नाम, जिस पर ऐसा विज्ञापन इस प्रकार लगाया गया हो, प्रदर्शित पेन्ट किया हो, चिपकाया गया हो, रखा गया हो या प्रदर्शित किया गया हो:
- (ङ) किसी भवन/संपत्ति की दशा में, जहां विधि द्वारा यथा अनुज्ञात व्यवसायिक सेवाएं जैसे चार्टर अकाउन्टेंट, एडवोकेट, आर्किटेक्ट आदि चल रही हो, और इन नियमों की अनुज्ञेय सोमा के भीतर हों।

15. प्रतिषेध.—

निम्न के लिए कोई अनुमोदन नहीं दिया जाएगा,—

- (क) अध्याय—नौ में यथावर्णित नकारात्मक विज्ञापन दर्शित करने हेतु आउटडोर मीडिया डिवाइस के लिए अनुमोदन नहीं दिया जाएगा; और
- (ख) अध्याय—नौ में यथावर्णित या विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित प्रतिषिद्ध क्षेत्रों में अवस्थित किए जाने हेतु प्रस्तावित।

अध्याय—छह

अनुश्रवण प्रक्रिया

16. आवेदन, नवीनीकरण तथा अनुश्रवण के लिए आइ टी आधारित समाधान.—

- (1) सक्षम प्राधिकारी आउटडोर विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति प्रदान करन और उसके अनुश्रवण के लिए एक पारदर्शी पद्धति अपनाएगा। सक्षम प्राधिकारी प्रमुखता से ऐसे अनुमोदन और अनुश्रवण के लिए राज्य सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिक आधारित तैयार की गई क्रियान्वयन और अनुश्रवण पणाली अपनाएगा। सक्षम प्राधिकारी उसके क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र के अंतर्गत जी.पी.एस आधारित आउटडोर मीडिया मास्टर प्लान तैयार करेगा। समस्त विद्यमान तथा प्रस्तावित आउटडोर मीडिया डिवाइस उनकी जी.पी.एस निर्देशांकों सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारी के जी.पी.एस नक्शे पर चिन्हित किए जाएंगे तथा संबंधित सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे।

- (2) उपनियम (1) में यथाउल्लिखित प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार होंगी :
- (क) आउटडोर मीडिया नियम तथा आउटडोर मीडिया से संबंधित समस्त अधिसूचनाएं आम जनता को, संबंधित सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित करते हुए उपलब्ध कराई जाएगी;
- (ख) संस्थाओं का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित किया सकेगा। पंजीकृत होने वाली संस्थाओं को एक यूनिक आई0डी दी जाएगी, जो आउटडोर मीडिया से संबंधित मामलों में सक्षम प्राधिकारी के साथ भविष्य में समस्त पत्र व्यवहार करने के लिये पासवर्ड संरक्षित होगा;
- (ग) आउटडोर मीडिया को संस्थापित करने के लिये समस्त आवेदन पत्र यथासंभव आनलाईन प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (घ) प्रत्येक आउटडोर मीडिया स्थल के पास उसको निर्दिष्ट किया गया यूनिक कोड जो उसके स्वामित्व, स्थान (जी. पी. एस. निर्देशांक), मीडिया का प्रकार, आकार (प्रदर्शन का क्षेत्र), विज्ञापन/देय अनुज्ञप्ति शुल्क, विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए अनुबंध की वैधता तथा कोई अन्य सूचना जो सक्षम प्राधिकारी की राय में कूटबद्ध (कोडेड) की जानी अपेक्षित हो, को इंगित करेगी;
- (ङ) समस्त आउटडोर मीडिया डिवाइस का अनुमोदन भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जा सकेगा।

17. निरीक्षण.—

- (1) सक्षम प्राधिकारी के पास इन मीडिया नियमों के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए, किसी आउटडोर मीडिया डिवाइस का निरीक्षण करने की शक्ति होगी। सक्षम प्राधिकारी नगरपालिक प्राधिकरण के किसी अधिकारी को निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, नियम 16 के उपनियम (1) के निबंधनों के अनुसार निरीक्षण के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके दौरान किसी आउटडोर मीडिया डिवाइस के स्वामी द्वारा या उस संपत्ति के स्वामी द्वारा जिस पर संबंधित आउटडोर मीडिया डिवाइस लगाया गया है या प्रदर्शित किया जाता है, अनुरोध किए जाने पर, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण करने के लिए सशक्त प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति की लिखित पुष्टि करेगा।

18. आउटडोर मीडिया डिवाइस का अनुरक्षण तथा अप्राधिकृत विज्ञापनों का हटाना.—

(1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए:

- (क) स्वामी/अभिकरण, आउटडोर मीडिया डिवाइस तथा आसपास के क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा जिससे कि वह उस सीमा तक असुंदर या विकृत न हो जाए जो इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के प्रतिकूल है। स्वामी/अभिकरण आउटडोर मीडिया डिवाइस संरचनात्मक सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा तथा किसी दुर्घटना की दशा में स्वामी को किसी भी आपदा के लिए दायी माना जाएगा।
- (ख) पैरा (क) में दर्शित आउटडोर मीडिया डिवाइस का स्वामी/अभिकरण आउटडोर मीडिया डिवाइस का तीन माह में कम से कम एक बार अपने आपको समाधान करने की दृष्टि से निरीक्षण करेगा कि वह यथोचित अनुरक्षित और ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप आवश्यक अनुरक्षण करेगा। वर्ष के अंत में, स्वामी, सक्षम प्राधिकारी को ऐसा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (ग) स्वामी/अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि आउटडोर मीडिया डिवाइस के ब्यौरे उपलब्ध कराते हुए सक्षम प्राधिकारी के चिन्ह सहित एक धातु की प्लेट (न्यूनतम आकार 1 फीट 1 फीट) या आईटी सक्षम डिवाइस हर समय प्रदर्शित की जाएगी तथा अच्छी स्थिति में अनुरक्षण किया जाएगा। ऐसा करने में असफल रहने की दशा में वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का 10 प्रतिशत राशि की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
- (2) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में कोई आउटडोर मीडिया डिवाइस किसी खतरनाक या असुरक्षित स्थिति में या असंधारण की स्थिति में गिरने के लिए छोड़ दी गई है या इन नियमों की अपेक्षाओं के विपरित है तो सक्षम प्राधिकारी एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आउटडोर मीडिया डिवाइस को हटाने/संधारित करने के लिये स्वामी/अभिकरण का एक नोटिस देगा, जिसका विहित समय के भीतर पालन स्वामी/अभिकरण द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाएगी।
- (3) यदि कोई आउटडोर मीडिया डिवाइस या विज्ञापन अनधिकृत है या सक्षम प्राधिकारी की राय में कोई आउटडोर मीडिया डिवाइस किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को आसन्न खतरा उत्पन्न करती है तो सक्षम प्राधिकारी नियम 17 के उपनियम (2) के निबंधनों के अनुसार नोटिस दिए बिना या यदि ऐसा नोटिस दे दिया

- गया हो किन्तु उसका पालन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है तो उस आउटडोर मीडिया डिवाइस को हटाएगा/अनुरक्षण करेगा।
- (4) आउटडोर मीडिया डिवाइस को हटाने तथा संग्रहित करने के लिए कोई अन्य उपगत व्यय जो कि नियम 17 के उपनियम (3) में यथाअपेक्षित संक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो, स्वामी/अभिकरण से वसूल किया जाएगा। संक्षम प्राधिकारी आउटडोर मीडिया डिवाइस को स्वामी/अभिकरण के जोखिम एवं व्यय पर हटाएगा।
- (5) यदि आउटडोर मीडिया डिवाइस नियम 17 के उपनियम (4) के निबंधनों के अनुसार हटाया गया है, तो संक्षम प्राधिकारी तुरंत लिखित रूप में आउटडोर मीडिया डिवाइस के स्वामी/अभिकरण को उसे हटाने का नोटिस देगा।
- (6) कोई भी आउटडोर मीडिया डिवाइस, जो इन नियमों के निबंधनों में, जो हटाए और/या संग्रहित किये गये हैं, उनके स्वामी/अभिकरण को संक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित विहित शुल्क प्रभार के भुगतान के अध्यक्षीन रहते हुए अधिकतम तीन माह की कालावधि के भीतर सौंपे जाएंगे। तीन माह की अवधि के पश्चात संक्षम प्राधिकारी उक्त आउटडोर मीडिया डिवाइस की पारदर्शी प्रक्रिया नीलामी या निपटारा करने के लिए स्वतंत्र होगा और प्राप्त आय को नगर पालिक प्राधिकरण निधि माना जाएगा।
- (7) संक्षम प्राधिकारी अनाधिकृत आउटडोर विज्ञापन तत्परता से हटाएगा तथा संक्षम प्राधिकारी जहां है, जैसे है के आधार पर ऐसे विज्ञापन/संरचना को तुरंत व्ययन करेगा। संक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर, ऐसे हटाए जाने और व्ययन के लिए यथोचित प्रक्रिया निर्धारित कर क्रियान्वित करेगा।

19. दस्तावेजीकरण.—

सम्पत्ति जिस पर आउटडोर मीडिया डिवाइस निर्मित, सलग्न या प्रदर्शित है, के स्वामी/अभिकरण को इन नियमों के निबंधनों के अनुसार ऐसी डिवाइस के अनुमोदन के लिए आवेदन और संक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां तब तक रखना होगी जब तक वह डिवाइस लगी या प्रदर्शित की जाती है तथा संक्षम प्राधिकारी को या संक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को किसी भी समय ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

अध्याय—सात

विविध

20. सूचनाओं (नोटिस) की तामीली.—

कोई सूचना जिसे इन नियमों के निबंधनों के अनुसार या प्रयोजनों के लिए तामोल किया जाए या अपेक्षित किया जाए, निम्नलिखित में से किसी एक रूप में की जाएगी :-

- (क) स्वामी/अभिकरण के अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा या डाक प्रमाण पत्र के अधीन नोटिस की प्रति भेज कर तथा जब तक प्रतिकूल प्रमाणित न हो, यह समझा जाएगा कि दस्तावज डाक में डाले जाने वाले दिन के अगले दिन से सातवे दिन को प्रभावी हुआ था;
- (ख) व्यक्ति को नोटिस की प्रति फैंक्स कर के, यदि व्यक्ति ने शासकीय प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी को फैंक्स नंबर लिखित में दिया हो;
- (ग) पंजीकृत ई-मेल आई डी पर ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेज कर;
- (घ) किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि/स्वामी को नोटिस की प्रति सौंपकर।

21. अपीलें.—

कोई स्वामी/अभिकरण जिसके अधिकार इन नियमों के निबंधनों के अनुसार या उनके प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय द्वारा प्रभावित हुए हैं, तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 403 या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 307 के अनुसार नियुक्त "अपील समिति" के समक्ष ऐसे विनिश्चय के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील के आधारों को विनिर्दिष्ट करते हुए, अपील कर सकेगा।

अध्याय—आठ

सामान्य अनुज्ञा मानदण्ड—आउटडोर मीडिया डिवाइस

22. अपराध और शास्तियां.—

- (1) इन नियमों की अधीन सक्षम प्राधिकारी नीचे उल्लिखित उल्लंघनों के लिए शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

अनुक्रमांक	उल्लंघन का प्रकार	शास्ति
1	पंजीकृत संस्था द्वारा प्राधिकृत ओएमडी की माप, प्रकार, अवस्थिति भुगतान इत्यादि का उल्लंघन	<p>1. किसी ओएमडी के संबंध में पहली बार उल्लंघन करने की दशा में शास्ति उल्लंघन की दिनांक से 5 रूपए प्रति वर्ग फुट प्रतिदिन या अनुसूची में यथा विहित सुसंगत प्रकार के अनुसार लागू अनुज्ञप्ति शुल्क के बराबर जो भी ज्यादा हो, इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए कि उक्त उल्लंघन 15 दिन के भीतर हटा दिया जाएगा या सुधार दिया जाएगा।</p> <p>2. 15 दिन से अधिक द्वितीय या लगातार उल्लंघन की दशा में सम्पूर्ण भवन /संपत्ति एक वर्ष की अवधि के लिए विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तथा बलपूर्वक ओएमडी हटाने के साथ बैंक प्रत्याभूति जप्त कर ली जाएगी।</p>
2	अनधिकृत/अवैध/संस्थापित मीडिया	30 दिनों की न्यूनतम कालावधि के लिए या वास्तविक प्रदर्शन की कालावधि के लिए, रूपए 10/- प्रति वर्ग फुट ओ एम डी के या अनुसूची में यथा विहित प्रासंगिक प्रकार के अनुसार लागू अनुज्ञप्ति शुल्क का दुगुना, जो भी ज्यादा हो, और साथ ही ओ एम डी को बलपूर्वक हटाना।

- (2) नियम 21 के उपनियम (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति, व्यक्तिकमी द्वारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए नोटिस को प्राप्ति से सात दिनों के भीतर, जमा की जाएगी और ऐसा करने में असफल रहने की दशा में सात दिन के बाद से सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान प्राप्त करने तक दिनों की संख्या पर संगणित 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

- (3) यदि एक ही स्वामी/संस्था द्वारा नियम 21 (1) के अनुसार आउटडोर मीडिया डिवाइस के तीन पृथक पृथक उल्लंघन होने की दशा में, स्वामी/अभिकरण तथा उसके निदेशकों/सदस्यों को तीन वर्ष की कालावधि के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। स्वामी/अभिकरण तथा उसके निदेशकों/सदस्यों को काली सूची में डालने के कारण, उसी स्वामी/अभिकरण से संबंधित अन्य आउटडोर मीडिया डिवाइस स्वतः अनाधिकृत हो जाएंगी। इन नियमों के अधीन कालीसूची में डालने की कालावधि के पश्चात नवीन प्रकरण के रूप में आवेदन किया जा सकेगा।

23. बीमा.—

आउटडोर मीडिया डिवाइस का स्वामी ऐसी आउटडोर मीडिया डिवाइस के अधीन लोक दायित्वों के विरुद्ध बीमा करवाने का दायी होगा।

24. क्षतिपूर्ति.—

- (1) आउटडोर मीडिया डिवाइस के स्वामी से निर्दिष्ट आउटडोर मीडिया डिवाइस के लिए तथा सभी कार्यो, कार्यवाहियों, दावों, मांगों, लागतों, हानियों, क्षतियों तथा खर्चों आदि के विरुद्ध किया-कलापों के लिए, जो सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध लाये गये हैं, या उस पर किए गये हैं जो आउटडोर मीडिया डिवाइस संस्थापन या अस्तित्व के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, स्वामी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करना आवश्यक होगा।
- (2) आउटडोर मीडिया डिवाइस के स्वामी/अभिकरण विज्ञापन के प्रदर्शन से उत्पन्न या सम्बन्धित किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को कारित या भुक्त की गई किसी चोट या उठाई गई क्षति के लिए हमेशा उत्तरदायी होगा तथा परिणामी दावा विज्ञापनकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा जो क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे किसी दावे या दावों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का बचाव एवं क्षतिपूर्ति करेगा।

25. राज्य सरकार की शक्तियां.—

राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार समय-समय पर, इन नियमों के संबंध में विवरण/स्पष्टीकरण/संशोधन/अधिसूचनाएं/दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी।

26. अनुमति मानदण्ड.—

- (1) 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में धरातलीय सूचना पट्ट केवल एकल खम्भे (यूनीपोल) पर लगाया जाएगा।
- (2) आउटडोर मीडिया डिवाइस किसी भी रूप में वृक्षों या झाड़ियों में नहीं लगाए जाएंगे।

- (3) कोई भी व्यापार तथा कारोबार चिन्ह, संदेश, पोस्टर या किसी स्वरूप की मुद्रित सामग्री, किसी सहायक कॉलम, स्तम्भ या पोस्ट पर नहीं लगाई/ चिपकाई जाएगी।
- (4) आउटडोर मीडिया डिवाइस किसी रूप में, किसी पैदल संचालन (लम्बवत या पार्श्व की ओर), अग्नि बचाव दरवाजा तथा खिड़की खोलने में बाधा नहीं डालेगा।
- (5) आउटडोर मीडिया डिवाइस किसी भी रूप या रीति में प्रचलित भवन उपविधियों में यथा उपबंधित प्रकाश तथा वायु संचालन के लिए अपेक्षित द्वार में बाधा नहीं डालेगा।
- (6) किन्हीं भी परिस्थितियों में आउटडोर मीडिया डिवाइस किसी पारदर्शी/ पारभाषी सतह/द्वार के सामने की रूप रेखा बाधित करने या बदलने के लिए अवस्थित नहीं किया जाएगा।
- (7) कोई भी व्यापार तथा कारोबार चिन्ह किसी भी रूप या रीति में अपेक्षित अग्नि सुरक्षा पारगमन/निकास स्थल की आवश्यकताओं तथा विहित मानकों में बाधा नहीं डालेगा।
- (8) समस्त आउटडोर मीडिया डिवाइस के उपयोग में लाई गई सामग्री प्रदूषण रहित, अग्निरोधी चाहिए।
- (9) कोई नवीन आउटडोर मीडिया डिवाइस किसी भवन, स्थल या संलग्न मार्गदृश्य पर विद्यमान आउटडोर मीडिया डिवाइस पर यह सुनिश्चित करने के लिए विचार करेगा कि आउटडोर मीडिया डिवाइस दृश्य तथा/या भौतिक अव्यवस्था में वृद्धि न हो।
- (10) आउटडोर मीडिया डिवाइस, किसी भवन से बाहर निकले नहीं होंगे।
- (11) मार्ग स्तर और आसपास की ऊंची इमारतें तथा स्काई लाइन से दृश्यता सम्मिलित करते हुए सभी कोणों से चिन्ह/आउटडोर मीडिया डिवाइस और कोई अन्य सहायक संरचना के देखन से केबल तथा विद्युत लाइन छुपी होनी चाहिए।
- (12) आउटडोर मीडिया डिवाइस को किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे चिन्ह पर न तो सहारे से या उसके ऊपर लगाया जायेगा न ही रखा जाएगा। प्रत्येक आउटडोर मीडिया डिवाइस या वास्तु शिल्प संरचना के साथ सुरक्षित लगा हो।

- (13) किसी छत के स्तर से लटकते हुये आउटडोर मीडिया डिवाइस को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (14) जहां सहायक सूचना को अनुज्ञात कर दिया जाता है वहां आउटडोर मीडिया डिवाइस पर कारोबार का नाम या उपयोग प्रमुख सन्देश होगा, पूरक नहीं। (जैसे नाम पंक्ति, उत्पाद विशिष्टिया, विक्रय आगम) तथा सहायक जानकारी (पता, दूरभाष, तथा अन्य ऐसे ब्यौरे), जो मार्गों पर चालक का ध्यानाकर्षण करते हैं, अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे क्योंकि जो परिवहन संकट उत्पन्न करते हैं।
- (15) आउटडोर मीडिया डिवाइस अप्रतिबिम्बित होना चाहिए ताकि मार्ग में चालक पर चमक या चौंध उत्पन्न नहीं करें।
- (16) सभी अनुज्ञात आउटडोर मीडिया डिवाइस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित देय लेवी अधिरोपित होगी।

27. यातायात बाधा संभावित निर्भरताएं.—

- (1) किसी आउटडोर मीडिया डिवाइस की परिवहन बाधा सम्भाव्यता निम्नलिखित पर निर्भर है:—
 - (क) स्थल अवस्थिति: सड़क से आउटडोर मीडिया डिवाइस की अवस्थिति जो सड़क के किनारे से पार्श्व तथा देशान्तरीय अपसरण के अनुसार मापी जाती है सड़कों से दूर होते उसी अनुक्रम में सामान्यतः खतरे कम हो जाते हैं ;
 - (ख) आउटडोर मीडिया डिवाइस का आकार ;
 - (ग) आउटडोर मीडिया डिवाइस का संदीप्ति स्तर ;और
 - (घ) पार्श्व तल और अन्य ऐसे संबंधित मुद्दे।
- (2) किसी विज्ञापन डिवाइस को परिवहन में बाधा माना जा सकता है यदि वह सड़क सुरक्षा या परिवहन दक्षता में बाधा डालता हो।
 - (क) यदि वह किसी सड़क सुरक्षा या यातायात दक्षता में बाधा डालता हो ;
 - (ख) यदि वह यातायात नियंत्रण डिवाइस (जैसे यातायात लाईट, स्टाप या अन्य गिववे चिन्ह) की प्रभावशीलता में बाधा डालता हो ;
 - (ग) किसी सड़क खतरे में चालक की दृश्य धुंधला करता हो (किनारों पर या सड़क में मोड़) ;

- (घ) ट्रेफिक कंटोल डिवाइस का अनुकरण करता हो ;
- (ङ) सड़क या अन्य अधोसंरचना, परिवहन, पैदल यात्रियों, साईकिल चालकों या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरनाक बाधा हों ;
- (च) विद्यमान और विधिक रूप से लगाए गए आउटडोर मीडिया डिवाइस को बाधित करता है;
- (छ) यदि वह घोषित खतरनाक हो (भागतः या पूर्णतः) या मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 या मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 के अधीन सूचना जारी की गई हो ;
- (ज) यदि वह नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगरपरिषद् की भवन उपविधियों का उल्लंघन करता हो;
- (झ) यदि लोकहित के विरुद्ध हो।

28. स्थल चयन मानदण्ड.—

(1) पार्श्विक व्यवस्था

- (एक) परिवहन द्वीपों पर यूनिपोल/होर्डिंग को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (दो) जहां वाहनों के मार्ग इतने अधिक मोड़ वाले हैं कि आनेवाला परिवहन स्थलाकृति या घने वनस्पति की वजह से नहीं दिखता है।
- (तीन) यूनिपोल/होर्डिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए—
- (क) सड़क के मध्य में
- (ख) परिवहन जंक्शन पर जहां सड़क विभक्त/विभाजित होती हो
- (ग) फुटपाथों पर
- (घ) जहां फुटपाथ मौजूद नहीं है, यूनिपोल/होर्डिंग को मौजूदा सड़क के किनारे से 3 मीटर के दायरे में अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ङ) जहां फुटपाथ मौजूद हैं, यूनिपोल/होर्डिंग फुटपाथ के किनारे से 3 मीटर के भीतर में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

- (च) सड़कें जहां सेवा रोड/लेन मौजूद हो, यूनिपोल/होर्डिंग सेवा रोड/लेन के किनारे से 3 मीटर के दायरे में अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) देशांतरीय व्यवस्था (चालक विकर्षण नियंत्रण).—

सड़क के एक ही तरफ दो यूनिपोल/होर्डिंग के बीच की न्यूनतम दूरी 50 मीटर से कम नहीं होगी।

29. विकास मानदण्ड.—

- (1) वाहनों और पैदल यात्रियों के परिवहन को समायोजित करने के अलावा सड़क आरक्षण उपयोगी सेवाओं जैसे ऊर्जा, दूरसंचार, गैस, वर्षा का पानी, जल आपूर्ति और मलजल के लिये कॉरीडोर होते हैं, अभिकरण/विज्ञापनकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी उस स्थान को, जहां कार्य किया जाना है किसी उत्खनन या फेब्रिकेशन के पूर्व सुसंगत प्राधिकारियों के साथ समन्वय करने, सूचना देने, संचरित करने के लिये उत्तरदायी होता है। किसी दायित्व, विलंब या घटित किसी दुर्घटना का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से स्वामी/अभिकरण का होता है।
- (2) आउटडोर मीडिया डिवाइस के स्वामी/अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं कि किसी आउटडोर मीडिया डिवाइस के प्रतिस्थापन, अनुरक्षण, उपांतरण और संचालन के दौरान डिवाइस से सड़क आरक्षण के भीतर की सेवाएं या अन्य चीजें बाधित न हो।
- (3) सक्षम प्राधिकारी, स्वामी/अभिकरण को उपयोगी सेवाओं के लिए किए जा रहें कार्यों जैसे कि विद्युत, संचार, गैस, वर्षा जल, जल आपूर्ति, मल-जल तंत्र या सड़क चौड़ीकरण के लिए किसी आउटडोर मीडिया डिवाइस को बदलने या हटाने के लिए कह सकेगा।

30. भौतिक विशेषताएं.—

भौतिक विशेषताओं पर नियंत्रण लागू करने का आशय चालक के विकर्षण के स्तर को कम करना है। आउटडोर मीडिया डिवाइस की भौतिक विशेषताओं का नियंत्रण निम्न से संबंधित है:

- (क) आकार तथा आकृति;
- (ख) रंग;

- (ग) प्रदीप्तता;
- (घ) आउटडोर मीडिया डिवाइस विषय वस्तु;
- (ङ) स्पष्टता;
- (च) संरचना;
- (छ) विद्युत संयोजन;

(क) आकार और आकृति—

आउटडोर मीडिया डिवाइस ऐसे आकारों का उपयोग नहीं करेगा जो अधिकारिक यातायात चिन्हों की प्रभावशीलता भ्रमित करते हों।

(ख) रंग—

आउटडोर मीडिया डिवाइस ऐसे रंग संयोजन का उपयोग नहीं करेगा जिसका परिणाम त्रुटिवश अधिकारिक यातायात संकेत के रूप में निकलता हो।

(ग) पदीप्तता—

- (1) आउटडोर मीडिया डिवाइस में भड़कीले लाल, नीले या अम्बर बिन्दु नहीं होंगे जिन्हें जब सड़क से देखा जाए तो ये किसी आपातकालीन सेवा या अन्य विशेष प्रयोजन, यान की चेतावनी प्रकाश का आभास देते हो।
- (2) आउटडोर मीडिया डिवाइस से सम्बद्ध सभी प्रकाश केवल आउटडोर मीडिया डिवाइस और इसके ठीक आसपास की ओर होंगे।
- (3) बाह्य प्रदीप्तता स्रोतों को यह सुनिश्चित करने के लिये परिरक्षित किया जाएगा कि बाहरी "स्थान" प्रकाश स्रोत पास आने वाले मोटर चालकों की ओर न हो।
- (4) आउटडोर मीडिया डिवाइस की प्रदीप्तता को छिपाया जाएगा या उसका एक अंतरंग भाग होगा।
- (5) आउटडोर मीडिया डिवाइस पर उपर की ओर केन्द्रित प्रकाश को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। बाह्य प्रकाश का केन्द्र नीचे की ओर रहेगा एवं प्रकाश का फोकस आउटडोर मीडिया डिवाइस पर सीधे रूप से किया जाएगा ताकि प्रकाश को आउटडोर मीडिया डिवाइस से बाहर जाने से रोका या कम किया जा सके।

- (6) किसी प्रकाश स्रोत को ऐसे छुपाया/अनुरक्षित किया जाएगा जिससे कि चकाचौंध, आउटडोर मीडिया डिवाइस से बाहर न फैले।
- (7) गैर स्थिर प्रदीप्त आउटडोर मीडिया डिवाइस (चमकीला प्रकाश) अनुमत नहीं है।

(घ) आउटडोर मीडिया डिवाइस विषय वस्तु—

नगरपालिक प्राधिकरण, सामान्यतः न्यूनतम विज्ञापन मानकों को लागू करने के लिए विज्ञापन उद्योग के भीतर स्वनियामक नियंत्रणों पर निर्भर रहेगा। इस बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी किसी ऐसे आउटडोर मीडिया डिवाइस को उपांतरित करने, हटाने के लिए कार्रवाई कर सकेगा जो विज्ञापन उद्योग की नैतिक संहिता का उल्लंघन करते हों। (अनुसूची दो में उपबंधित नकारात्मक विज्ञापनों की निर्दिष्ट सूची) या जो अन्यथा परिवहन संकट कारित करते हों।

(ङ) स्पष्टता—

- (1) आउटडोर मीडिया डिवाइस के सभी प्रवर्गों के लिए (उन आउटडोर मीडिया डिवाइस से भिन्न जो पैदल यात्रियों के निर्देशित हैं) आउटडोर मीडिया डिवाइस के मुख पर अवतरण घटक यात्रा करने वाले मोटर चालकों के लिए आसानी से प्रत्यक्ष होने चाहिए। यह चालक के विकर्षण को कम करेगा।
- (2) आउटडोर मीडिया डिवाइस पैनल पर प्रदर्शित विषय वस्तु या रेखा चित्र पढ़ने में कठिनाई को दूर करेंगे तथा पेंचिदा अक्षराकृतियों को ढक देंगे तथा वही अक्षर शैली अपनाएंगे जो युक्तियुक्त हो जो कि परिवहन के सुगम आवागमन के लिये अहितकर तथा चालक के लिये ध्यानभंग कारक न हो।
- (3) समस्त आउटडोर मीडिया डिवाइस इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे जिससे ऐसा अनुपात बना रह, जहां सामान्य नियम के रूप में, आउटडोर मीडिया डिवाइस क्षेत्र का 20 प्रतिशत से अधिक अक्षरों द्वारा भरा नहीं दिखना चाहिए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न कर दिया गया हो।

(च) संरचना—

- (1) इंजीनियरिंग के क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले कोई संरचना इंजीनियर आउटडोर मीडिया डिवाइस संरचना तथा उस भवन को भी जिस पर

आउटडोर मीडिया डिवाइस संस्थापित है, प्रमाणित करेंगे। यह अपेक्षा ऐसे विशिष्ट दृष्टांतों पर लागू नहीं होगी जहां आउटडोर मीडिया डिवाइस संरचना की सतह पर सीधे रूप से चिपकाये गये विज्ञापन के रूप में है, अर्थात् वाहन, दीवार पर चिपकाये गये स्टिकर आदि।

- (2) यह प्रमाणन, भारतीय संरचना डिजाईन मानक, व्यवसाय संहिता तथा इन नियमों की शर्तों के अनुपालन प्रदान करता है। नींव, अत्यधिक हवा की अवस्था, भूकंप, मिट्टी घारण करने की क्षमता आदि के लिए डिजाईन की जाएगी तथा उसकी जांच की जाएगी।
- (3) संरचना इंजीनियर, किसी आउटडोर मीडिया डिवाइस की तथा उस भवन, जिस पर आउटडोर मीडिया डिवाइस संस्थापित है, संरचनात्मक अक्षमता और सुरक्षा की दशा में उत्तरदायी होगा। प्रमाणित संरचना इंजीनियर को संरचना का वार्षिक अंकेक्षण करना चाहिए तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
- (4) सहायक संरचना में चकाचौंध रोकने के लिए एक गैर प्रतिबिंबित सतह होगी।
- (5) आउटडोर मीडिया डिवाइस संरचना का अच्छी तरह अनुरक्षण किया जाएगा। यह ऐसे रंगों से पेन्ट की गई होगी जो आस-पड़ोस के क्षेत्र से सुसंगत हो और उसके सौन्दर्यपरक विस्तार करते हों।
- (6) शासकीय सड़क सज्जा जैसे शासकीय चिन्ह और चित्रक मार्गदर्शन स्तम्भ को आउटडोर मीडिया डिवाइस की सहायता संरचना के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।
- (7) आउटडोर मीडिया डिवाइस अनुज्ञप्तिधारी का नाम/अनुज्ञप्ति का नम्बर/मीडिया डिवाइस पहचान नम्बर/अनुज्ञप्ति की कालावधि आदि आउटडोर मीडिया डिवाइस के सहज दृश्य स्थान पर लगाए जाएंगे।

(छ) विद्युत संयोजन—

- (1) आउटडोर मीडिया डिवाइस के विद्युत संयोजन सुसंगत भारतीय मानका के अनुसार होंगे।
- (2) आउटडोर मीडिया डिवाइस के विद्युत संयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाईन किये जाएंगे कि कोई सुरक्षा या परिवहन जोखिम नहीं हो।

- (3) आउटडोर मीडिया डिवाइस के विद्युत संयोजन ऐसे डिजाईन किए जाएंगे कि आकस्मिक रूप से बंद हो जाने की घटना में सुरक्षित रहें।
- (4) संस्थापन और संयोजन के तुरंत पश्चात् यथानिर्मित प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया जाएगा।
- (5) सम्पत्ति का स्वामी/अभिकरण बिजली का उपभोक्ता है और वह विद्युत संयोजन के लिए आवेदन करेगा और संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी/अभिकरण से स्वयं के नाम पर प्रदीप्त प्रदर्शन के लिये प्रत्येक स्थल पर विद्युत कनेक्शन लेगा। उसे इस कार्य हेतु उसके विशेष अनुरोध पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (6) विद्युत संयोजन और प्रदाय के प्रभार प्रत्यक्ष रूप से स्वामी/अभिकरण द्वारा वहन किये जायेंगे। विद्युत प्रदायकर्ता का स्वीकृति पत्र/बिलिंग व्यवस्था की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को औपचारिक अनुज्ञप्ति अनुबंध करने से पहले प्रदान की जाएगी।
- (7) विद्युत संस्थापन का कार्य किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त विद्युत कर्मकार द्वारा सुसंगत विद्युत विनियमों तथा वायरिंग नियमों और सुसंगत विद्युत प्रदाता के अनुसार किया जाएगा।
- (8) आउटडोर मीडिया डिवाइस या रोड लाईटिंग सर्किट के अनुरक्षण और उस पर कार्य कर रहे कर्मियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रोधक, संरक्षणात्मक उपस्कर और प्रक्रियाएं काम में लाई जाएगी। अर्थिंग के प्रयोजन के लिए, एक पृथक अर्थ इलेक्टोड का उपयोग किया जाएगा तथा एक्टिव तथा न्यूट्रल कंडक्टर केवल प्रदायक केन्द्र के लिए उपयोग किए जाएंगे।
- (9) एक रेखाचित्र योजना, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसमें उस स्थान को दर्शित किया जाएगा जहां से बिजली प्राप्त की जा रही है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अर्ह विद्युत इंजीनियर द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित भिन्न-भिन्न आनुषंगिक आवश्यकताओं की अवस्थिति भी रहेगी।
- (10) विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी जांच प्रमाण पत्र की प्रति सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। स्विचिंग यंत्र विद्युत प्रदायक द्वारा अनुमोदित प्रकार के होंगे। विद्युत घटक, सुसंगत भारतीय मानको के अनुसार होंगे।

अध्याय— नौ

निषिद्ध क्षेत्रों की दर्शित सूची और नकारात्मक आउटडोर विज्ञापन

31. प्रतिषिद्ध क्षेत्र.—

निम्नलिखित क्षेत्रों में कोई भी विज्ञापन या आउटडोर मीडिया डिवाइस अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

- (1) निम्न के समक्ष या/आहते के भीतर या किसी दीवार पर
 - (क) पुरातत्वीय, वास्तुशिल्पी, सौंदर्यपरक, ऐतिहासिक या धरोहर महत्व के भवन;
 - (ख) प्रतिमाएं, मीनारें या धरोहर महत्व के स्तंभ;
 - (ग) शैक्षणिक संस्थाएं;
 - (घ) यातायात द्वीप।
- (2) नगरपालिक प्राधिकारी, आपवादिक परिस्थितियों में, संबंधित प्राधिकारी के परामर्श से प्रकरणवार आधार पर आवेदन पत्र पर विचार करगा। उदाहरण के लिए -पर्यटन सेवा/आवास के कारोबार के लिए, आउटडोर मीडिया डिवाइस एक क्षेत्रीय पर्यटन योजना के हिस्से के रूप में अनुमति दी जा सकती है।
- (3) नगरपालिका प्राधिकरण किसी विशिष्ट क्षेत्र को आउटडोर मीडिया डिवाइस के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सूची में जोड़ने की शक्ति रखता है।

32. नकारात्मक विज्ञापनों की सूची.—

निम्नलिखित एक या अधिक को सम्मिलित करने वाले/प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन इन नियमों के प्रयोजन के लिए नकारात्मक विज्ञापन समझे जाएंगे।

- (क) अश्लील;
- (ख) रंगभेदी विज्ञापन या ऐसे विज्ञापन जो जाति, समुदाय या वर्णभेद को विज्ञापित कर रहे हैं;
- (ग) मादक पदार्थों, शराब, सिगरेट या तंबाकू के पदार्थों को प्रोन्नत करने वाले विज्ञापन;
- (घ) महिलाओं या बच्चों के शोषण को प्रचारित करने वाले विज्ञापन;

- (ड) कामवासना को उत्तेजित करने वाले विज्ञापन;
- (च) पशुओं के प्रति क्रूरता दर्शित करने वाले विज्ञापन;
- (छ) देशद्रोह प्रकट करने वाले विज्ञापन;
- (ज) किसी ब्रांड या व्यक्ति को कलंकित करने वाले विज्ञापन;
- (झ) किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन;
- (ञ) हिंसा को महिमा मंडित करने वाले विज्ञापन;
- (ट) विध्वंसात्मक डिवाइस और विस्फोटकों को प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन;
- (ठ) कोई साइकेडलिक, लेजर या मूविंग डिस्प्ले;
- (ड) हथियारों और उससे संबंधित विज्ञापन (जैसा कि आग्नेयास्त्र, उनके भाग तथा मैग्जीन, आयुध आदि);
- (ढ) ऐसे विज्ञापन जो मानहानिकारक या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या विधि विरुद्ध रूप से धमकाने या पीड़ित करने के संबंध में हैं;
- (ण) ऐसे विज्ञापन जो अश्लील हो या पोर्न प्रकृति के हा या जिसमें महिला को अशिष्ट प्रदर्शित किया जाना सम्मिलित है, जो कि महिलाओं के अशिष्ट प्रदर्शन प्रतिषेध अधिनियम, 1986 का उल्लंघन हो;
- (त) ऐसे विज्ञापन जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसी मर्दों, सेवाओं या वस्तुओं से सम्बद्ध हो या सम्मिलित करते हों जो किसी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा लागू हो जिसमें ड्रग्स और कास्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स और मैजिक रैमिडीज एक्ट, 1954 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 सम्मिलित ह, किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं;
- (थ) कोई अन्य वस्तु जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुचित समझा जाए।

अनुसूची

विज्ञापन अनुज्ञप्ति शुल्क

एक. अभिकरण पंजीयन शुल्क/प्रक्रिया शुल्क.-

सक्षम प्राधिकारी के पास विज्ञापन एजेन्सियों/स्वामियों के पंजीयन के लिए लागू होने वाली फीस निम्नानुसार होगी :-

(1) अभिकरण पंजीयन शुल्क -

अनुक्रमांक	विवरण	राशि (रूपए में)
1.	अभिकरण पंजीयन शुल्क	₹ 10000

(2) प्रक्रिया शुल्क -

प्रकार	विवरण	प्रक्रिया शुल्क प्रति ओ.एम.डी
क	लोक यातायात सेवाओं/स्ट्रीट फर्नीचर पर आउटडोर मीडिया डिवाइस	₹ 100
ख	लोक परिवहन प्रणाली पर विज्ञापन - आउटडोर मीडिया डिवाइस	₹ 1000
ग	निजी भूमि पर वाणिज्यिक विज्ञापन संरचना - आउटडोर मीडिया डिवाइस	₹ 1000
घ	अस्थायी कार्यक्रम	₹ 100
ड.	भू-दृश्य आउटडोर मीडिया डिवाइस	₹ 100
च	स्व-विज्ञापन	₹ 100
छ	अभिनव विज्ञापन	₹ 1000
ज	सिनेमा विज्ञापन . सिनेमा में स्क्रीन पर विज्ञापन जिसमें स्लाइड और विज्ञापन फिल्म सम्मिलित हैं। (चलचित्र विज्ञापन)	₹ 1000 प्रतिस्क्रीन
झ	वाणिज्यिक भवन के भीतर	₹ 100

टीप :-

1. उपरोक्त दर्शित शुल्क/प्रभार के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञेय कर देय होंगे।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उपरोक्त शुल्क की समीक्षा की जाएगी और अधिसूचित किया जाएगा।
3. स्व विज्ञापनदाता को इन नियमों के अन्य उपबंधों के पालन के अध्यक्षीन रहते हुए पंजीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।

दो. अनुज्ञप्ति फीस के अवधारण की प्रक्रिया—

(1) क, ग एवं च प्रकार के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क का निर्धारण—

(क) नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा क, ग एवं च प्रकार को प्राथमिकता से विज्ञापन मास्टर प्लान/परिक्षेत्रीय प्लान पर आधारित जन-निजी भागिदारी (पीपीपी) प्रोजेक्ट द्वारा विकसित किया जाएगा। चयनित अभिकरण से अपेक्षा की जाएगी कि वह डिवाइस/संरचना को बनाने, उसे चलाने या प्रबंध करने के व्यय को वहन करें। अभिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को एक ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा जो निविदा प्रक्रिया पर आधारित तथा अनुबंध की शर्तों के अनुसार होगी। यह चयन प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी को उच्चतम भुगतान के आधार पर की जाएगी जिसमें उच्चतम प्रदर्शन मानकों का ध्यान रखा जाएगा। इस सुरक्षा के साथ कि संविदात्मक दायित्वों के भाग के रूप में रियायत/प्राधिकरण अनुबंध में उच्चतम निष्पादक मानक तय किए जाते हैं।

(ख) विशेष मामलों में, जहां भूमि रेलवे/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/शासकीय /अर्ध शासकीय इत्यादि के अंतर्गत आती है, अभिकरण जो उक्त भूमि पर आउटडोर मीडिया डिवाइस लगाती है तो प्रकार डी के अनुसार लागू अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करेगी।

(2) प्रकार ख के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क का निर्धारण—

किसी भी शहर के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आवश्यक होती है और सक्षम प्राधिकारी का यह दायित्व होता है कि वह उसे प्रोन्नत करे। इन कारणों से इन नियमों के अधीन पृथक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बनाई गई है जिसमें कतिपय रियायतें और आसानी से कारोबार करना उपलब्ध कराया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो कि ज्यादा सुधरा हुआ एवं संपोषणीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की ओर बढ़ते हुए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर आउटडोर मीडिया को समुचित अधिभोग मिले।

(3) प्रकार ख के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली (रोलिंग स्टॉक्स)

अनुक्रमांक	विवरण	सक्षम प्राधिकारी के साथ राजस्व हिस्सा
1	बसें/रोलिंग स्टॉक्स के स्वामित्व या संचालित शासकीय प्राधिकारी या नगर/सक्षम प्राधिकारी द्वारा	छूट प्राप्त

(4) प्रकार ख के लिए सार्वजनिक परिवहन वाहन (निजी) (रोलिंग स्टॉक)

अनुक्रमांक	विवरण	अनुज्ञप्ति शुल्क (रूपए)
1	निजी बस	नगरपालिक प्राधिकरण के निर्णय अनुसार (न्यूनतम रू. 1000/- प्रतिमाह प्रति बस)
2	रेडियो टेक्सी, कार एवं सभी प्रकार के रिक्शा (जो केवल विज्ञापन आयोजन हेतु उपयोग किये जाते हो)	नगरपालिक प्राधिकरण के निर्णय अनुसार (न्यूनतम रू. 1000/- प्रतिमाह प्रति यान)
3	आटो रिक्शा, ई-रिक्शा	नगरपालिक प्राधिकरण के निर्णय अनुसार (न्यूनतम रू. 250/- प्रतिमाह प्रति यान)
4	हस्तचलित रिक्शा, हाथगाड़ी, हाकर्स	नगरपालिक प्राधिकरण के निर्णय अनुसार (छूट प्राप्त अधिकतम अनुज्ञेय आकार 0.5 वर्ग मी.)

(5) प्रकार घ के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण—निजी भूमि पर आउटडोर मीडिया डिवाइस के लिए—

अनुज्ञप्ति शुल्क रूपए प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष कलक्टर गाइडलाइन की कीमत का न्यूनतम 4 प्रतिशत या कलक्टर गाइडलाइन दर की कीमत के न्यूनतम 4 प्रतिशत से अधिक नगरपालिक प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित होगी।

(6) प्रकार ड. के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारण . अस्थायी कार्यक्रम के लिए

अनुक्रमांक	विवरण	अनुज्ञप्ति शुल्क (रूपए)
1	समारोह स्थल पर रू अधिकतम आकार 5 मी. X 3 मी	₹ 5000 प्रति ओ एम डी प्रति बार अधिकतम एक महीने के लिए ।
2	अन्य स्थानों पर रू अधिकतम आकार 3 मी. X 2 मी	₹ 2500 प्रति ओ एम डी प्रति बार अधिकतम एक महीने के लिए ।

प्ररूप-दो

**आउटडोर मीडिया डिवाइस के अनुमोदन हेतु आवेदन प्ररूप
(निजी संपत्ति पर मीडिया डिवाइस हेतु लागू)**

1. आवेदन करने वाले स्वामी/अभिकरण का नाम
2. स्वामी/अभिकरण के पंजीकरण का ब्यौरा (पंजीकरण आईडी)
3. संपर्क व्यक्ति
4. संपर्क ब्यौरे दूरभाष लेण्ड लाईन मोबाईल नं. फैंक्स न.
5. ओ.एम.डी. का प्रकार (सुसंगत प्रकार के साथ चिन्हांकित करें तथा जानकारी पूर्ण करें)

प्रकार	विवरण	ऊँचाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (स्क्वायर मीटर)	ओ.एम.डी. का क्रमांक

1. क्या चिन्ह एक तरफा या दो तरफा है
2. प्रदीपक आवेदित है: हॉ/नही – प्रदीपक का प्रकार बाह्य/आन्तरिक/अन्य
3. प्रास्थिति/ओ.एम.डी की स्थिति
4. सड़क का पता
5. स्थल/संपत्ति पर स्थिति विवरण
6. आवेदन प्रसंस्करण फीस
7. आवेदन प्रसंस्करण फीस डिमाण्ड डाफ्ट/चैक के ब्यौरे

(आवेदक/अभिकर्ता) द्वारा हस्ताक्षरित

दिनांक :

हस्ताक्षर:

दिनांक :

टिप्पणी : यह केवल मानक प्ररूप है।

प्ररूप— तीन

आउटडोर विज्ञापन अनुज्ञप्ति के वार्षिक नवीनीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रति,
.....

विषय— आउटडोर विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए आउटडोर मीडिया डिवाइस के अनुज्ञप्ति का वार्षिक नवीनीकरण।

संदर्भ— आपका आवेदन क्रमांक. दिनांक.....

महोदय,

आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शन के लिए सक्षम प्राधिकारी से आउटडोर मीडिया डिवाइस नवीनीकरण के संबंध में संदर्भित ओएमडी क्रमांक.....

हम, एतद्वारा, मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम, 2017 के अनुसार आउटडोर मीडिया डिवाइस नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शन के लिए आउटडोर मीडिया डिवाइस हेतु कम्पनी आई डी
.....वार्षिक नवीनीकरण अनुज्ञप्ति शुल्क, रूपय (अंकों में).....(शब्दों में)...

प्रकार	ओएमडी का प्रकार	अवस्थिति	आकार	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क

धन्यवाद

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी :-यह केवल नमूना प्ररूप है।

प्ररूप— चार

पंजीकरण के आवेदन की स्वीकृति अथवा निरस्ती के लिए प्रपत्र

कमांक.....

दिनांक.....

प्रति,

.....

विषय:—आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शन के लिए सक्षम प्राधिकारी से आउटडोर मीडिया डिवाइस पंजीकरण

संदर्भ: आपका आवेदन कमांक दिनांक

महोदय,

आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शन के लिए आउटडोर मीडिया डिवाइस के संस्थापन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण के आवेदन के संदर्भ में

सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित विनिश्चय लिया गया:

1. पंजीकरण के लिए आपका आवेदन अनुमोदित किया गया है तथा आपको यूनिक आईडी..... आवंटित किया गया है। कृपया नगरपालिक प्राधिकारी से समस्त भावी पत्राचर के लिए तथा अपने एकाउंट को सक्रिय करने के लिए उसका उपयोग करें।
2. पंजीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नानुसार निरस्त किया गया है:
 - क. अपूर्ण आवेदन
 - ख. असत्य जानकारी दी गई
 - ग. बकाया लम्बित है (यदि कोई)
 - घ. ब्लेकलिस्टेड, स्टेटस की पुष्टि नहीं हुई
 - ङ. अन्य.....

धन्यवाद,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टीप: आवेदन निरस्त होन की दशा में, उपरोक्त उल्लिखित शर्तों का समाधान करने के लिए नवीन आवेदन करें।

टिप्पणी : यह केवल नमूना प्ररूप है।

प्ररूप— पांच
आशय पत्र (एलओआई)

कमांक.....

दिनांक.....

प्रति,

.....

संदर्भ:—आउटडोर विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए आउटडोर मीडिया डिवाइस के अनुज्ञप्ति शुल्क का प्रस्तुतीकरण

महादय,

आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शन के लिए आउटडोर मीडिया डिवाइस के संस्थापन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पजीकरण के आवेदन के संदर्भ में।

सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित विनिश्चय लिया गया है।

1. पंजीकरण के लिए आपका आवेदन अनुमोदिक किया गया है तथा आपको यूनिक आईडी..... आवंटित किया गया है। कृपया नगरपालिक प्राधिकारी से समस्त भावी पत्राचर क लिए तथा अपने एकाउण्ट को सक्रिय करने के लिए उसका उपयोग करें।

आउटडोर विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए आउटडोर मीडिया डिवाइस के अनुज्ञप्ति शुल्क कंपनी आई डी के अनुसार.....

प्रकार	विवरण	स्थान	आकार	अनुज्ञप्ति शुल्क

कृपया 7 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करें।

धन्यवाद

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी : यह केवल नमूना प्ररूप है।

Not No. 08/F 1-25/2016/1803

Bhopal Dated 28-03-2017

Notification

CHAPTER- I
PRELIMINARY

1. Short, Title and Commencement

CHAPTER- II
INTERPRETATION AND APPLICATION

2. Definitions - In These Media Rules, Unless The Context Otherwise Requires
3. Period of Compliance

CHAPTER-III
APPLICATION AND APPROVAL PROCESS

4. Application For Registration
5. Types of Outdoor Media Devices
6. Approval of Outdoor Media Devices (On Private Land)
7. Evaluation And Approval
8. Withdrawal And Amendment of Approvals

CHAPTER IV
IMPLEMENTATION MECHANISM FOR MUNICIPAL AUTHORITY

9. Outdoor Media Devices On Municipal Authority Property
10. Outdoor Media Devices On The Premises of Other Public Authorities
11. Advertisement License Fees
12. Assignment of License Fees

CHAPTER-V
GENERAL REQUIREMENTS, EXEMPTIONS AND PROHIBITIONS

13. General Requirements For Outdoor Media Devices
14. Exempted Outdoor Media Devices And Advertisements
15. Prohibitions

CHAPTER-VI
MONITORING MECHANISM

16. IT Based Solution For Application, Renewal And Monitoring
17. Inspections
18. Maintenance of Outdoor Media Devices And Removal of Unauthorised Advertisements
19. Documentation

CHAPTER-VII
MISCELLANEOUS

20. Serving of Notices
21. Appeals

CHAPTER-VIII
GENERAL PERMISSION CRITERIA-OUTDOOR MEDIA DEVICE

22. Offences And Penalties
23. Insurance
24. Indemnity
25. Powers of State Government
26. Permission Criteria *
27. Traffic Hazard Potential Dependencies
28. Site Selection Criteria
29. Development Criteria
30. Physical Characteristics

CHAPTER-IX
INDICATIVE LIST OF PROHIBITED AREAS AND NEGATIVE OUTDOOR ADVERTISEMENT

31. Prohibited Areas
32. List of Negative Advertisement

Schedule: Agency Registration / Processing Fees

- | | | |
|-----------|---|--|
| Form- I | : | Application Form For Registration |
| Form- II | : | Application Form For Approval Of Outdoor Media Devices |
| Form- III | : | Application Form For Annual Renewal of Outdoor Advertisement License |
| Form- IV | : | Letter For Acceptance and Rejection of Application For Registration |
| Form- V | : | Letter of Intent (LOI) |

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68 read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (OO) of Section 124 read with Section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

RULES
CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title, Extent and Commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Outdoor Advertisement Media Rules, 2017.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- (3) These rules shall apply within the limits of all Municipal Corporations, Municipalities and Municipal Councils.

CHAPTER-II
INTERPRETATION AND APPLICATION

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “**Act**” means the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

- (b) **“Advertisement”** means any representation by a word or abbreviation thereof, letter, logo, symbol, sign, figure, painting, drawing or other pictorial representation, light, sound, visible, audible to public from any place on land, building, airspace and water and/or visible from Public Place or Public Street including display on outdoor media devices (OMD) in the Control Area;
- (c) **“Advertising”** means the act or process of displaying an Advertisement;
- (d) **“Agency”** means an applicant who may be an individual registered charitable organization, firm, partnership etc. or a company incorporated under the Companies Act, 1956/2013;
- (e) **“Approved”** means approved in writing by the Competent Authority having jurisdiction under these Rules;
- (f) **“Appeal Committee”** means a Committee appointed under Section 403 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) or Section 307 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);
- (g) **“Billboard/Hoarding”** means an Outdoor Media Device with space for advertising in the form of an advertisement panel and where such panel is mounted on any structure with its foundation either on ground or building.
- (h) **“Building Line”** means the line up to which the plinth of a building may lawfully extend on the side, which abuts the street or an extension of a street or a strip of land ear-marked or reserved for future construction of street and such line has been so prescribed in the approved plan or co-ordination plan or the scheme by the Government Authority having jurisdiction;
- (i) **“Carriage way”** means the width of the road where vehicles are free to move without any obstruction. Carriage way can be further classified as single or dual carriageway.
- (j) **“Competent Authority”** means any officer authorised by the Municipal Authority to implement and enforce the provisions set out in these Rules;
- (k) **“Municipal Area”** means the geographic area including airspace in the jurisdiction of the Municipal Area as defined under sub-section (2) of section 7 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961;
- (l) **“Display”** means the display of an Advertisement;
- (m) **“Election”** means a national, state, local self government election and by-election held under the superintendence and control of Election Commission of India/State Election Commission;
- (n) **“Gantry”** means a structure erected across a road and usually fabricated by metal etc. section pillars fixed on either side of a road with a beam shaped section connecting the top of the pillars across the road with the advertisement on the face opposite to the direction of traffic;
- (o) **“Indian Road Congress (IRC)”** means the applicable Indian Road Congress codes and any regulations made thereunder;
- (p) **“Interested Party”** means any person/agency who has in terms of these Media Rules submitted an application or submitted comments or an objection or made representations in respect of any such application;

- (q) **“Intersection/Junction”** means an area embraced within the prolongation of the lateral boundary lines of two or more public streets, open to traffic, that join one another at any angle, whether or not one such public road crosses the other;
- (r) **“LED/Electronic Hoarding”** means an outdoor media device, with display made from LED or LCD or any other electronic source, to display running text, displays and informational messages from computer programs and software or any other means;
- (s) **“Mobile Display Advertisement”** means a double or single sided Outdoor Media Device or panel mounted on or behind a vehicle in a manner that it can be driven around or parked at strategic locations for a better display of the advertisement;
- (t) **“Municipal Authority”** means the concerned Commissioner/Chief Municipal Officer or any other entity notified by the State Government for implementation of these Rules;
- (u) **“National Building Code (NBC)”** means the latest National Building Code of India and any regulations made thereunder;
- (v) **“Outdoor Advertising”** is advertising that reaches the consumers while they are outside their homes;
- (w) **“Outdoor Media Device or OMD”** means device as set out in Rule 5;
- (x) **“Owner”** means legal owner of the Private Property;
- (y) **“Property”** means any unit of private or public land, water, air space including a Public Place which is registered/documented as separate entity/ID and also includes such spaces which are categorized as land, water and airspace or any Public Place;
- (z) **“Public Place”** means a space, which is open and/or assigned to the use or enjoyment of the public, whether such space is vested in the Municipal Authority or not;
- (za) **“Public Street”** means a road, street or thorough fare or other Right of Way to which the public has a right of access or which is commonly used by the public and includes any portion of a Right of Way of public street including a footpath;
- (zb) **“Right of Way or RoW”** means the full width of a Public Street as prescribed by IRC or between Building Lines across such Public Street including the median, carriageway, service road, shoulder and footpath/sidewalk and the air space above it;
- (zc) **“Road Traffic Sign”** means any road traffic sign and traffic signal as contemplated in the IRC or any applicable Act/Rules;
- (zd) **“Self Advertising”** means a name board whether illuminated or non-illuminated displaying only the name, address and details of any own commercial business or social activity that is being carried out in the same premises or on the shop as the case may be.
- (ze) **“Street Furnishing Advertisement”** means an Advertisement Displayed on any public facility or structure which is not primarily intended for Advertising and includes a seating bench, plant box, footpath litter bin, pole-mounted litter bin, public transport shelter, sidewalk clock, suburban name device and a street name, drinking fountain, bollards, traffic barriers, etc. of appropriate size and shape serving the functional requirement

of such street furniture with advertisement either directly pasted/affixed or in the form of a panel or painted or written or displayed in any other manner.

- (zf) **“Structural Engineer”** means a person with post graduate degree in Structural Engineering from duly recognised Institute/University and Registered / empanelled with Municipal Authority;
- (zg) **“Structural Stability Certificate”** means a certificate about structural safety and stability issued by a Structural Engineer;
- (zh) **“Schedule”** means Schedule appended to these Rules;
- (zi) **“Temporary Advertisement”** means an advertisement/Outdoor Media Device displayed for a maximum period of 30 days for any forthcoming event including entertainment events, festivals, mela, trade fair, conferences, road shows, etc.
- (zj) **“Urban Design”** means the actions of conceiving and managing the special and aesthetic characteristics of urban space between and around buildings, public places including physical elements that make up the streetscape and the combined visual effect of building facades and other structures.
- (zk) **“Vehicle”** includes a bicycle, tricycle, motor car and every wheeled movable conveyance which is used or capable of being used in a public street;
- (zl) **“Wall Painting Advertisement”** means an advertisement displayed by painting/writing it directly on the wall or structure of a building or any civil structure.
- (zm) **“Wall Wraps”** means advertisement painted / pasted / affixed on surface of the walls of a building, which has been used as architectural feature to cover/form facade/, used as wall of a building.

3. Period of Compliance.-

All Existing Outdoor Media Devices shall comply with these Rules within a period of ninety (90) days from the date of notification of these Rules:

Provided that where Outdoor Media Devices have been installed for a contract period after bidding by the municipal authority, these Rules shall be applicable after the contract period. This provision shall not be applicable if any extension is given in aforementioned contract period.

CHAPTER-III

APPLICATION AND APPROVAL PROCESS

4. Application for Registration.-

- (1) In case of Private Properties, only Property Owners shall seek permission for installing an Outdoor Media Device from the Competent Authority by registering themselves with the Competent Authority using online process as laid out in Form-I (the “Registering Entity”).
- (2) This registration is compulsory for Self Advertisers as well as Property Owners who want to install Outdoor Media Devices on their premises.
- (3) Registration shall be valid for a period of ten years from the date of registration for Self Advertisers and three years for other Property Owners who wish to install Outdoor Media Devices.

- (4) The registering entity shall deposit Registration Fee as set out in clause I of Schedule excluding the Self Advertisers.
- (5) The Competent Authority shall upon receiving application for registration, reject or accept the same in the format as given in Form-IV.

5. Types of outdoor media devices.-

- (1) Outdoor Media Devices shall be classified into following:

Typology	Description
A	OUTDOOR MEDIA DEVICES ON PUBLIC TRANSPORT SERVICES / STREET FURNITURE
A1	Bus and Intermediate Public Transport (IPT) Shelters
A2	Bus and Intermediate Public Transport (IPT) Route Markers
A3	FOB, Gantry, Toilet Blocks And Urinals etc.
A4	Cycle Stands
A5	Police Booth, Parking Booth, Telephone Booth, Pre-Paid Taxi Booth, Bus/Rail Booking Information Booth, Drinking Water Facility, Vending Kiosks, Outside Colonies To Facilitate Directory/Payment of Bills, Bollards, etc.
A6	Sitting Bench, Garbage Bins, etc.
A7	Information Panels, Pole Mounted MUPI (Street Furnishing for Information)
A8	Pier or Pylon Mounted Device
B	ADVERTISING - OUTDOOR MEDIA DEVICE ON PUBLIC TRANSPORT SERVICES
B1	Metro/MRTS Infrastructure
B2	Public Transport Vehicle
C	OUTDOOR MEDIA DEVICES ON COMMERCIAL ADVERTISING STRUCTURES ON PUBLIC LAND
C1	Unipole/Hoarding/Billboard
C2	Wall Wrap
C3	Wall Painting/Writing
D	OUTDOOR MEDIA DEVICES ON COMMERCIAL ADVERTISING STRUCTURES ON PRIVATE LAND
D1	Unipole/Hoarding/Billboard
D2	Wall Wrap
D3	Wall Painting/Writing
E	TEMPORARY EVENTS
F	LANDSCAPE OUTDOOR MEDIA DEVICES
G	SHOP SIGNAGE
H	INNOVATIVE ADVERTISING
I	CINEMA ADVERTISING - IN-CINEMA ON SCREEN ADVERTISING INCLUDING SLIDES AND ADVERTISEMENT FILMS (MOVING ADVERTISEMENTS)
J	INSIDE ADVERTISEMENT COMMERCIAL BUILDINGS AND PUBLIC BUILDINGS

- (2) The supporting structure shall have a non-reflective finish to prevent glare. The Outdoor Media Devices structure shall be well maintained at all times. It shall be painted in colours that are consistent with, and enhance the aesthetics of surrounding.
- (3) The OMDs which is not defined in Formats of Outdoor Media Devices [Rule 13(1)] and not among the prohibited ones will be considered as "Innovative Advertising".

6. Approval of outdoor media devices (on private land).-

- (1) Application for any Private Property shall be made by submitting information as per Form-II by any Property Owner/Applicant (as applicable).
- (2) The application form shall be accompanied with the following-
 - (a) Applicable Processing fees shall be as per Schedule;
 - (b) No dues certificate from the Municipal Authority in relation to property for which application has been made;
 - (c) A drawing showing the locality plan, marginal open spaces (MOS), details of road inventory, in colour, indicating the proposed position (including GPS coordinates) of the Outdoor Media Device and the distances in relation to any other structures, buildings, Outdoor Media Devices situated within a radius of 25m from the proposed Outdoor Media Device.
 - (d) Where applicable, indicate in terms of these Rules / the Advertisement Zoning Map/Master Plan the category of the proposed location of the Property upon which the Outdoor Media Device is to be installed;
 - (e) Complete specifications and drawing showing the dimensions of the Outdoor Media Devices and location,
 - (f) The design and the structure shall be certified by a Structural Engineer with respect to the safety and stability aspect from the point of view of its foundations which can bear extreme wind conditions, earthquakes, soil bearing capacity and shall comply with prevalent Building Bye laws and National Building Code of India (NBC), Standards and Guidelines framed from time to time under these. The details shall include size of all components of supporting frameworks, anchorages and design calculations including proof of compliance with any other law, including but not limited to, the applicable acts and codes/guidelines.
 - (g) If a proposed Outdoor Media Device is to be attached to, or Displayed on, the Façade of a building, the approved building plans along with measurement and the details, measurements and position of the proposed Outdoor Media Device and the details and the position of every existing Outdoor Media Device on the building drawn to a scale acceptable to the Competent Authority; and
 - (h) Any other updated information in the application form (Form-III) which the Competent Authority may require from time to time after approval of Municipal Authority.
 - (i) Self certification regarding that the property is not in any prohibited zones for the purpose of advertisement.
- (3) The Competent Authority may refuse to accept an application if-
 - (a) Any requirement of sub-rule (2) of Rule 6 has not been complied with; or
 - (b) The application relates to an Outdoor Media Device which is prohibited in terms of Rule 14.
 - (c) For any other reason(s), for which Competent Authority considers that it is not in public interest.
- (4) If any information requested by the Competent Authority in terms of sub-rule (2) of Rule 6 above is not provided within Thirty (30) days from the date of the first written request, the application concerned shall be rejected without further notice to the applicant.

7. Evaluation and approval.-

- (1) While evaluating an application in terms of Rule 4, the Competent Authority shall ensure that the application is in compliance with these Rules. The Competent Authority may accept or reject any application after giving due opportunity of hearing.

(2) An approval shall be for a period as set out below:

Typology	Description	Period
A	OUTDOOR MEDIA DEVICES ON PUBLIC TRANSPORT SERVICES / STREET FURNITURE	EQUAL TO THE AGREEMENT PERIOD BETWEEN THE COMPETENT AUTHORITY AND THE OWNER/ AGENCY
B	ADVERTISING - OUTDOOR MEDIA DEVICE ON PUBLIC TRANSPORT SERVICES	EQUAL TO THE AGREEMENT PERIOD BETWEEN THE COMPETENT AUTHORITY AND THE OWNER/ AGENCY
C	OUTDOOR MEDIA DEVICES ON COMMERCIAL ADVERTISING STRUCTURES ON PUBLIC LAND	3 YEARS
D	OUTDOOR MEDIA DEVICES ON COMMERCIAL ADVERTISING STRUCTURES ON PRIVATE LAND	3 YEARS
E	TEMPORARY EVENTS	AS PER EVENT DURATION
F	LANDSCAPE OUTDOOR MEDIA DEVICES	AS PER AUTHORISATION PERIOD
G	SHOP SIGNAGE	3 / 10 YEARS *
H	INNOVATIVE ADVERTISING	AS PER AUTHORISATION PERIOD
I	CINEMA ADVERTISING - IN-CINEMA ON SCREEN ADVERTISING INCLUDING SLIDES AND ADVERTISEMENT FILMS (MOVING ADVERTISEMENTS)	3 YEARS
J	INSIDE COMMERCIAL BUILDINGS AND PUBLIC BUILDINGS	3 YEARS

* For self advertisement 10 years and for other signages 3 years.

- (3) The Competent Authority shall within fifteen days in writing and electronically send Letter of Intent (LOI) to the applicant as per format attached as Form-V.
- (4) The Owner/Agency shall be required to make necessary payment as specified in the Letter of Intent within fifteen days from date of issue of Letter of Intent.
- (5) Upon receipt of necessary payment from the Owner/Agency, the Competent Authority shall issue formal approval letter stating the terms and conditions of the approval.
- (6) No approval granted in terms of these Rules shall exempt-
- (a) any person from any provisions of any other law applicable to Advertising; or
- (b) any Owner/Agency of an Outdoor Media Device from the duty to ensure that such Outdoor Media Device is designed, erected, completed, displayed and maintained in accordance with the provisions of these Rules and any other applicable law including safety and security of public at large.

8. **Withdrawal and amendment of approvals.-**

- (1) The Competent Authority may, withdraw an approval granted in terms of Rule 7 or amend any condition or impose a further condition in respect of such approval, if in the opinion of the Competent Authority, the Outdoor Media Device concerned-
- (a) is or has, as a result of a change to the nature of the environment or the amenity of the neighbourhood, streetscape or Urban Design existing at the time of such approval, become detrimental to the area in which it is located by reason of its size, intensity of illumination, quality of design, workmanship, material or its existence;

- (b) constitutes, or has become, a danger to any person or Property or traffic safety;
 - (c) is obscuring any other Outdoor Media Device, natural feature, architectural feature or visual line of civic, architectural, historical or heritage significance;
 - (d) of which a part or whole falls either due to an accident or any other cause;
 - (e) any addition or alteration is made to the building or structure and such addition or alteration involves disturbance of the Outdoor Media Device or any part thereof; and
 - (f) which is installed on building or structure or property upon or over which the Outdoor Media Device installed is, demolished or destroyed.
 - (g) If in case of property tax and other Municipal dues related to the property are not paid in due time.
- (2) The Competent Authority shall in writing notify the Owner/Agency of the Outdoor Media Device concerned of its decision and that he or she may within fifteen (15) days from the date of the serving of notice as per the rules make written representations concerning the proposed decision.
 - (3) In case of partial or complete withdrawal of permission by Competent Authority, Property Owner shall have to remove or amend as the case may be, within 7 days the Outdoor Media Device at his own risk and cost and refund of the balance amount of license fee shall be given to the Property Owner within 30 days of such complete withdrawal.

CHAPTER-IV
IMPLEMENTATION MECHANISM FOR MUNICIPAL AUTHORITY

9. Outdoor media devices on municipal authority property.-

- (1) Municipal Authority shall constitute a dedicated cell for outdoor media management and appoint a Competent Authority. Competent Authority from time to time shall identify locations and Property(ies) within notified urban planning area, where it will allow new Outdoor Media Devices to be erected and prepare an implementation and monitoring plan.
- (2) As and when required such identified locations would be bid out through an open, transparent, competitive e-tendering process for selection of suitable agency (ies).
- (3) Competent Authority appointed by Municipal Authority shall prepare outdoor advertisement zoning/master plan and shall categorise the outdoor media in clusters /zones and shall identify projects (sites) and implement as follows;
 - (a) Under Public Private Partnership (PPP) structure, and if not viable under PPP then
 - (b) Under Advertisement Rights /License model.
 - (c) Any other Revenue Model.
- (4) In terms of the identified implementation structure above, each category of projects would be bid out through an open, transparent e-tendering process by the Competent Authority.

10. Outdoor media devices on the premises of other public authorities.-

- (1) Advertisement or Outdoor Media Devices visible/audible from or fronting any public place which is not in the premises of Central / State Government or its undertaking, etc., whether installed/displayed by themselves or by private agencies appointed by them will be governed as per provisions of these Rules.

- (2) For permission of Outdoor Media Devices on Central / State Government or it's undertaking, etc., premises visible/audible from or fronting any public place which is not in the premises of Central / State Government or it's undertaking, the agency must register to the concerned Competent Authority in the prescribed manner set out in these Rules after obtaining NOC from the respective Authority.
- (3) The concerned Central / State Government or it's undertaking are required to provide the names of agencies as covered in sub-rule (1) and (2) of Rule 10, location, size, period of allotment and all other details of the Outdoor Media Devices on their premises.
- (4) The demand notices for licence fee as per the relevant Typology will be sent to the concerned agency as per Schedule of these Rules and the agency shall deposit the said amount within 15 days to Competent Authority.
- (5) Responsibility of removal of OMDs as per specific direction of any Hon'ble Court or when approval on OMDs is revoked by Competent Authority shall, however, lie upon the Central / State Government or it's undertaking.
- (6) For the agencies covered under this Rule 10, all the provisions of these Rules shall be applicable.

11. **Advertisement license fees.-**

As per the provision of Section 132 and 133 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 129 of Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961) Municipal Authority have been empowered to impose Taxes and Fees.

- (1) The Advertisement License Fees including revenue share shall be payable by the Owner/Agency who has been permitted/awarded the contract in terms of the Schedule of these Rules in advance on a quarterly basis or as per provision of the contract decided by the Competent Authority.
- (2) No new Advertisement shall be allowed to Display unless the Advertisement License Fees in advance as per condition of approval is deposited with the Competent Authority.
- (3) In addition to the license fee, the registered entity shall deposit bank guarantee as a performance guarantee of an amount equivalent to the quarterly license fee payable to the Competent Authority or as per provision of the contract decided by the Competent Authority in advance valid for entire licence period.
- (4) Any person dissatisfied with the order passed by the Competent Authority under these Rules may appeal to the "Appeal Committee" appointed by the Municipal Authority and decision of the committee shall be final provided that no appeal shall be valid unless the amount of the tax and / or fee payable has been deposited.

12. **Assignment of license fees.-**

The advertisement license fee collected by the Municipal Authority under these Rules shall be assigned for operational Urban Public Transport System. This assignment shall not be less than 25% of the total revenue received under these Rules. In Municipal Areas where Urban Public Transport System is still to be implemented then these provisions shall be applicable from the date of Urban Public Transport System coming into operation.

CHAPTER-V GENERAL REQUIREMENTS, EXEMPTIONS AND PROHIBITIONS

13. **General requirements for outdoor media devices.-**

- (1) The Owner of an Outdoor Media Device shall ensure adherence to these Rules.
- (2) The Owner of an Outdoor Media Device must ensure that such device is designed or located so as not to-
 - (a) be detrimental to the nature of the environment, streetscape, Urban Design or detract from the architecture of any building on which or where such device is to be located, by reason of abnormal size, appearance, workmanship, design or its existence etc;
 - (b) wholly or partially obscure any Outdoor Media Device previously installed;

- (c) constitute a danger to any person or property or traffic safety;
 - (d) project outside the boundaries of the property on which it is to be erected or displayed;
 - (e) result in the removal of, or damage to, any tree in a public place without prior approval of the Competent Authority;
 - (f) be unsightly and not to comply with minimum distances as prescribed in these Rules;
 - (g) obstruct a fire escape or the means of access to or egress from a fire escape; or comply with the minimum clearance with regard to overhead power lines stipulated in prevalent Law/Rules.
- (3) Any Outdoor Media Device on a Public Street or facing a Public Street, including Outdoor Media Devices facing a State or National Highway, shall comply with the following requirements:
- (h) a minimum distance of as set out in the Chapter-VIII shall be maintained between Outdoor Media Devices or Advertisements on the same side of a Public Street including any carriageway, whether, State or National Highway; and
 - (i) No Outdoor Media Device may be located inside a prohibited areas and in relation to overhead Road Traffic Signs.
- (4) Any Outdoor Media Device must be positioned as per the provision of IRC in case of an Intersection and in any case traffic flow may not be impeded during the erection and maintenance of an Outdoor Media Device located in a Public Street, provided precaution has been arranged and prior approval has been obtained from the Competent Authority.
- (5) Upon approval of an Outdoor Media Device, it shall not be altered, amended, removed, re-erected or upgraded without prior written approval of the Competent Authority, except for maintenance work, which may be required for the upkeep of an Outdoor Media Device.
- (6) Only sites approved by the Competent Authority in terms of these Rules for the purpose of advertisement shall be used for display of advertisements.

14. Exempted outdoor media devices and advertisements.-

The following Outdoor Media Devices and Advertisements are exempted from compliance with the provisions of Rule 4, but must comply with any other applicable provision of these Rules and other applicable Laws:

- (a) is exhibited within the window of any building if the advertisement relates to the profession or business carried on in that building;
- (b) relates to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or to the name of the owner or occupier of such land or building; or
- (c) relates to the business of a central/state government organisations and is exhibited within or upon any wall or other property of the concerned organisations within premises; or
- (d) is a name plate announcing the name of owner/or name of occupier of building and/or name of a building upon which such advertisement is so fixed, exhibited painted, pasted, retained or displayed; or
- (e) in the case of buildings/property, where professional services like chartered accountant, advocate, architect, etc., is running, as permitted by law and is within permissible limits in these Rules.

15. Prohibitions.-

No approval shall be given for

- (f) Outdoor Media Devices displaying Negative Advertisements as described in Chapter IX; and
- (g) Proposed to be located in Prohibited Areas, as described in Chapter IX or notified by different Competent Authorities.

CHAPTER-VI
MONITORING MECHANISM

16. It based solution for application, renewal and monitoring.-

- (1) Competent Authority shall adopt a transparent system for grant of permission for display of outdoor advertisements and monitoring of the same. The Competent Authority shall adopt preferably the Information Technology based Implementation and Monitoring System, prepared as per the guidelines of the State Government for such approvals and monitoring. The Competent Authority shall prepare a GPS based Outdoor Media Master Plan for the area under the jurisdiction of the Competent Authority, all the existing and proposed OMDs with their GPS coordinates shall be marked on the GPS map of the respective Competent Authority and the same shall be available on the Website of the respective Competent Authority.
- (2) The system as mentioned in sub-rule (1) above shall have following salient features:
 - (a) Outdoor Media Rules and all notifications related to Outdoor Media shall be made available to general public by means of display of information on the Website of the respective Competent Authorities.
 - (b) Online registration of entities may be enabled. The Registering Entities shall be assigned a unique ID, which shall be password protected for all future correspondence with the Competent Authority in matters related to Outdoor Media.
 - (c) All applications for the installation of Outdoor Media shall as far as possible be submitted online;
 - (d) Each Outdoor Media site shall have unique code assigned to it which shall convey its ownership, location (GPS coordinates), type of media, size (area of display), advertisement/license fee payable, validity of Agreement for display of advertisement and any other information which in the opinion of the Competent Authority is required to be coded.
 - (e) Approvals of all OMD may also be given electronically by the Competent Authority.

17. Inspection.-

- (1) Competent Authority shall have the power to inspect any Outdoor Media Device for the purpose of implementation and enforcement of these Rules. Competent Authority may also authorise any official of Municipal Authority to carry out such inspection.
- (2) The Competent Authority or any official authorised by the Competent Authority, before the commencement of, or during an inspection in terms of sub-rule (1) of Rule 16, at the request of the Owner of an Outdoor Media Device or the Owner of a Property on which the Outdoor Media Device concerned has been installed or is displayed, produce written confirmation of his or her appointment as an authorised official empowered to carry out inspections for the purposes of these Rules.

18. Maintenance of outdoor media devices and removal of unauthorised advertisements.-

- (1) Subject to provisions in these Rules:
 - (a) The Owner/Agency is responsible for maintaining the OMD and the surrounding area so that it does not become unsightly or deteriorate to such a degree that it is in conflict with any provision of these Rules. Owner/Agency shall also be responsible for structural safety of the OMD and in case of any accident the owner shall be held liable for any mishap.
 - (b) An Owner/Agency contemplated in paragraph (a), must carry out at least once in three (3) months inspection of an Outdoor Media Device with a view to satisfying himself or herself that it has been properly maintained and forthwith carry out any necessary maintenance resultant upon such inspection. At the end of the year, the owner shall submit such inspection reports to the Competent Authority.

- (c) The Owner/Agency shall ensure that a metallic plate (minimum size of 1 feet by 1feet) or IT enabled device with the embossed logo of the Competent Authority providing details of the Outdoor Media Device, are displayed and maintained in good condition at all times. Failure to do so shall result in imposition of penalty amounting to 10% of the annual license fee.
- (2) If in the opinion of the Competent Authority, any Outdoor Media Device is in a dangerous or unsafe condition or has been allowed to fall into a state of disrepair or is in conflict with any requirement of these Rules, Competent Authority shall serve a notice on the Owner/Agency to remove / maintain the Outdoor Media Device, within a period so specified and Owner/Agency shall be required to comply thereof within stipulated time,
- (3) If the OMD or advertisement is unauthorised or the Competent Authority is of the opinion that an Outdoor Media Device constitutes an imminent danger to any person or Property, the Competent Authority shall without serving a notice in terms of sub-rule (2) of Rule 17, or if such a notice has been served but not complied within the period specified therein, remove / maintain the Outdoor Media Device.
- (4) The cost incurred for the removal and storage of an Outdoor Media Device, and any other costs incurred by the Competent Authority as contemplated in sub-rule (3) of Rule 17, shall be recovered from the Owner/Agency. The Competent Authority shall remove the OMD at the risk and cost of the Owner/Agency.
- (5) If an Outdoor Media Device has been removed in terms of sub-rule (4) of Rule 17, Competent Authority shall promptly in writing give a notice of such removal to the Owner/Agency.
- (6) Any Outdoor Media Device, which has been removed and/or stored in terms of these Rules, shall be released to its Owner/Agency subject to payment of prescribed fee/charges as determined by the Competent Authority within a period of maximum three months. After a period of three months the Competent Authority shall be free to auction or dispose the said OMD by transparent process and proceeds received shall be treated as Municipal Authority fund.
- (7) The Competent Authority shall remove an unauthorised outdoor advertisement promptly and the Competent Authority shall immediately dispose of such advertisement/structures on, as is where is basis. The Competent Authority shall prepare and implement adequate process for such removal and disposal, from time to time.

19. Documentation.-

- (1) The Owner/Agency of a Property upon which an Outdoor Media Device is erected, attached or Displayed, must retain certified copies of all documentation relating to the application for approval of such device and the approval of the Competent Authority in terms of these Rules, as long as that device is erected or displayed, and must present such documentation to Competent Authority or any other duly authorised official by the Competent Authority at any point of time.

CHAPTER-VII MISCELLANEOUS

20. Serving of notices.-

Any notice that is required to or may be served, delivered or given in terms of or for the purposes of these Rules, must be served in any one of the following ways:

- (a) by sending a copy of the notice by registered or under postal certificate to the last-known address of the Owner/ Agency and unless the contrary is proved, it is deemed that service was effected on the seventh day following the day on which the document was posted;

- (b) by faxing a copy of the notice to the person, if the person has in writing furnished a fax number to the Government Authority or an authorised official ;
- (c) by sending the notice through e-mail on the registered e mail id.
- (d) by handing over a copy of the notice to any of the authorised representative/owner;

21. Appeals.—

Any Owner/Agency whose rights are affected by a decision of Competent Authority in terms of or for the purposes of these Rules, may appeal against that decision to the “Appeal Committee” appointed by the Competent Authority in terms of the Section 403 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 or Section 307 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961, by lodging an appeal, specifying the grounds of appeal within thirty days of the date on which he or she was communicated of that decision.

CHAPTER-VIII

GENERAL PERMISSION CRITERIA - OUTDOOR MEDIA DEVICE

22. Offences and penalties

- (1) The Competent Authority shall impose penalty for below mentioned violations under these Rules,-

Sr. No.	Type of Violation	Penalty
1	<i>Violation in size, type, location, payment etc. of authorised OMD by registered entity.</i>	<p>1. In case of first violation related to any OMD, the penalty shall be Rs.5/ per Sqft / per day or equal to applicable licence fee as per relevant typology as prescribed in Schedule, whichever is more from the date of violation and subject to condition that the said violation is removed or corrected within 15 days.</p> <p>2. In case of second/continuing violation beyond 15 days, the entire building/property shall be debarred from display of advertisements for a minimum period of one year and bank guarantee shall be forfeited along with forceful removal of OMD.</p>
2	<i>Unauthorised /illegal Media installed</i>	Rs.10/- per Square feet of OMD per day or double the applicable licence fee as per relevant typology as prescribed in Schedule, whichever is more to be charged for a minimum period of 30 days or for the period of actual display, whichever is higher and along with forceful removal of OMD.
(2)	The penalty imposed under sub-rule (1) of Rule 21 shall be deposited by the defaulter within seven days of receipt of the notice as issued by the Competent Authority, failure to do so shall attract an interest of @ 12% per annum calculated on the number of days beyond the seventh day till the receipt of payment by the Competent Authority.	
(2)	In case more than Three separate independent instances of violation of OMD in terms of sub-rule (1) of Rule 21 occur with the same Owner/Agency, this shall lead to blacklisting of the Owner/Agency	

including its Directors/Members for a period of three years. Due to aforesaid blacklisting of the Owner/Agency and Directors/Members, other OMD/s with the same Owner/Agency shall automatically become unauthorised. Application as a new case can be made after the period of blacklisting as per these Rules.

23. Insurance.—

The Owner of the Outdoor Media Devices shall be liable to insure against public liability under such Outdoor Media Device.

24. Indemnity.—

- (1) Outdoor Media Device Owner shall be required to indemnify the Competent Authority for the designated Outdoor Media Devices and activities against all actions, proceedings, claims, demands, costs, losses, damages and expenses etc. which may be brought against, or made upon the Competent Authority which arise as a result of the installation or existence of an Outdoor Media Devices.
- (2) The Outdoor Media Device Owner/Agency shall always be responsible for any injury or damage caused or suffered by any person or property arising out of or related to the display of advertisement and the consequential claim shall be borne by the Advertiser who will also indemnify and safeguard the Competent Authority in respect of any such claim or claims.

25. Powers of State Government.—

The State Government can issue details / clarifications / amendments / notifications / guidelines with respect to these Rules from time to time as the need be.

26. Permission criteria.—

- (1) In cities with population more than 5 lakhs, on ground Billboards shall be mounted on single pole only (Unipole).
- (2) No Outdoor Media Device shall be attached in any way to trees or shrubs.
- (3) No trade and business sign, messages, posters or printed material of any nature shall be attached/pasted onto any supporting column, pillar or post.
- (4) Outdoor Media Device in any form shall not obstruct any pedestrian movement (vertically and laterally), fire escape door or window openings.
- (5) No Outdoor Media Device shall be in any form or manner interferes with openings required for light and ventilation as prescribed in prevalent Building Bye Laws.
- (6) Under no circumstances shall Outdoor Media Device be located to obstruct or alter the frontal silhouette of any transparent/translucent surfaces/openings.
- (7) No trade and business sign shall be in any form or manner interferes with fire safety transit/exit space requirements and prescribed norms.
- (8) Materials used on all Outdoor Media Devices should be non-polluting and fire resistant.
- (9) Any new Outdoor Media Device shall consider existing Outdoor Media Devices on a building, site or adjoining streetscape to ensure that the Outdoor Media Device does not give rise to visual and/or physical clutter.
- (10) Outdoor Media Devices shall have no projections from any building.

- (11) The cabling and conduit should be concealed from view of the sign/Outdoor Media Devices and any supporting structure from all angles, including visibility from the street level and nearby higher buildings and against the skyline.
- (12) No Outdoor Media Devices under any circumstances shall be supported from, hung or placed on other signs. Each Outdoor Media Devices should be self-supporting or fixed securely with the architectural structure.
- (13) Outdoor Media Devices suspended from the roof at the roof level are not permitted.
- (14) Where subordinate information is allowed, the name or use of the business shall be the dominant message on the Outdoor Media Devices- No supplementary (as in bylines, product specifications, selling propositions) and subordinate information (addresses, telephone numbers, and other such details) which seeks the attention of drivers along vehicular stretches will not be allowed as they present a traffic hazard.
- (15) Outdoor Media Devices should be non reflective such that they do not flash or glare at drivers on the streets.
- (16) All permitted Outdoor Media Devices would attract levies payable as outlined by the Competent Authority.

27. Traffic hazard potential dependencies.—

- (1) The traffic hazard potential of an Outdoor Media Device depends on its:
 - (a) Site Location: Outdoor Media Device's location from the road, which is measured in terms of lateral and longitudinal displacements from the edge of the road. The hazards generally diminishes further the device is away from the road.
 - (b) Size of the Outdoor Media Device,
 - (c) Luminance level of the Outdoor Media Device, and
 - (d) Background and other such related issues.
- (2) An Outdoor Media Device may be considered a traffic hazard-
 - (a) If it interferes with road safety or traffic efficiency.
 - (b) If it interferes with the effectiveness of a traffic control device (e.g., traffic light, stop or give way sign).
 - (c) Obscures a driver's view of a road hazard (e.g., at corners or bends in the road).
 - (d) Imitates a traffic control device.
 - (e) Is a dangerous obstruction to road or other infrastructure, traffic, pedestrians, cyclists or other road users.
 - (f) Obscure any existing and legally erected Outdoor Media Devices;
 - (g) If it is in the declared dangerous (partly or fully) or has been issued with the notice under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961(No. 37 of 1961);

- (h) If it violates the building by-laws of Municipal Corporation / Municipality / Municipal Council;
- (i) If it is against the public interest;

28. Site selection criteria.—

- (1) Lateral Placement -
 - (i) Unipole/Hoarding shall not be permitted on traffic islands.
 - (ii) Where carriageways diverge so much that oncoming traffic is not visible because of topography or dense vegetation.
 - (iii) Unipole/Hoarding should not be permitted:
 - (a) in medians
 - (b) on traffic junctions where carriageway diverge
 - (c) on footpaths
 - (d) where footpath doesn't exist Unipole/Hoarding shall not be permitted within 3 meter of existing carriageway.
 - (e) where footpath exist Unipole/Hoarding shall not be permitted within 3 meter from the edge of the footpath.
 - (f) on roads where service road/lane exists, the Unipole/Hoarding shall not be permitted within 3 m from the edge of the service road/lane.
- (2) Longitudinal Placement (Driver Distraction Control) -

The minimum distance between two Unipole/Hoarding on the same side of the road shall not be less than 50 meter.

29. Development criteria.—

- (1) Apart from accommodating vehicular and pedestrian traffic, road reserves are corridors for utility services such as power, telecommunications, gas, storm water, water supply and sewerage. The Agency/Advertiser or the licensee is responsible to co-ordinate, inform and communicate to relevant authorities before any excavation or fabrication on site work is to be undertaken. Any liability, delay or accident that happens, is complete responsibility of the Owner/Agency.
- (2) Outdoor Media Device Owner/Agency are solely responsible for ensuring that during erection, maintenance, alteration and operation of an Outdoor Media Device, the device does not conflict with services or other things within the road reserve.
- (3) The Competent Authority may ask the Owner/Agency to either replace or altogether remove any Outdoor Media Device to facilitate the work undertaken by utility services such as power, telecommunications, gas, storm water, water supply and sewerage, or for road widening.

30. Physical characteristics.—

The application of control on physical characteristics is intended to minimize the level of driver distraction. Control of the physical characteristics of Outdoor Advertising Devices shall relate to the:

- (a) Size and shape
- (b) Colour
- (c) Illumination
- (d) Outdoor Media Device Content
- (e) Legibility
- (f) Structure
- (g) Electrical Connection

(a) Size and Shape-

Outdoor Media Devices shall not use shapes that could potentially result in an Outdoor Media Device being mistaken for the effectiveness of official traffic signs.

(b) Colour-

Outdoor Media Devices shall not use colour combinations that could potentially result in and being mistaken for an official traffic sign.

(c) Illumination -

- (1) Outdoor Media Device shall not contain flashing red, blue or amber point light sources which, when viewed from the road, could give the appearance of an emergency service or other special purpose vehicle warning lights.
- (2) All lighting associated with the Outdoor Media Device shall be directed solely on the Outdoor Media Device and its immediate surrounds.
- (3) External illumination sources shall be shielded to ensure that external 'spot' light sources are not directed at approaching motorists.
- (4) Illumination of Outdoor Media Device is to be concealed or be integral part of it.
- (5) Up-lighting/upward pointing of the Outdoor Media Device shall not be allowed, any external lighting is to be downward pointing and focused directly on the Outdoor Media Device to prevent or minimise the escape of light beyond Outdoor Media Device.
- (6) Any light source shall be shielded so that glare does not extend beyond the Outdoor Media Device.
- (7) Non-static illuminated Outdoor Media Devices (with flashing lights) are not permitted.

(d) Outdoor Media Device Content-

The Municipal Authority will generally rely upon self regulatory controls within the Advertising industry to enforce minimum Advertising standards. Notwithstanding this approach, the Competent Authority may take action to modify or remove any Outdoor Media Device that contravene the Advertising Industry's Code of Ethics, (refer List of Negative Advertisements provided in chapter II) or that otherwise causes a traffic hazard.

(e) Legibility-

- (1) For all categories of Outdoor Media Devices (other than OMDs which are directed at pedestrians), text elements on an Outdoor Media Device face should be easily discernible to traveling motorists. This will minimise driver distraction.
- (2) The content or graphic layout exhibited on Outdoor Media Device panel shall avoid hard-to-read and overlay intricate typefaces and have letters styles that are appropriate and is not detrimental to the smooth flow of traffic and distracting to the driver.

- (3) All Outdoor Media Devices shall be so designed as to maintain a proportion where, as a general rule, letters should not appear to occupy more than 20% of the Outdoor Media Device area, unless otherwise permitted by the Competent Authority.

(f) Structure-

- (1) A Structural Engineer practicing in the field of structural engineering shall certify Outdoor Media Device structures and also the building on which Outdoor Media Device is installed. This requirement is not applicable to specific instances where the Outdoor Media Device is in the form of Advertisement pasted directly to the surface of a structure e.g. pasted sticker on a vehicle, wall wrap, etc.
- (2) This certification confers compliance of the design with relevant Indian Structural Design Standards, Codes of practice and conditions of these Rules. The foundations shall be designed and checked for extreme wind conditions, earthquake, soil bearing capacity, etc.
- (3) The Structural Engineer shall be accountable in case of any structural disability and safety of the Outdoor Media Devices and the building on which Outdoor Media Device is installed. Certified structural engineer should do the annual audit of the structure and report should be submitted to competent authority.
- (4) The supporting structure shall have a non-reflective finish to prevent glare.
- (5) The Outdoor Media Device structure shall be well maintained. It shall be painted in colours that are consistent with and enhance the aesthetics of surrounding area.
- (6) Official road furniture such as official signs and delineator guideposts shall not be used as the supporting structure of an Outdoor Media Device.
- (7) The name of the Outdoor Media Device license holder / license number / media device identification number / license period, etc., shall be placed in a conspicuous position on the Outdoor Media Device.

(g) Electrical Connection-

- (1) Electrical connections to Outdoor Media Devices shall accord with relevant Indian Standards.
- (2) Electrical connections to Outdoor Media Devices shall be designed to ensure there is no risk to safety or traffic.
- (3) Electrical connections to Outdoor Media Devices shall be designed to be safe in the event of accidental knock down.
- (4) As constructed, certification shall be supplied immediately following installation and connection.
- (5) The Owner/Agency of the Property is the power consumer and shall make application for power connection and shall obtain electricity connection from the respective distribution company/agency for illuminated display at each site in his own name, for which Competent Authority would provide him necessary no objection certificate on his specific request.
- (6) Any charges for power connection and supply shall be incurred directly by the Owner/Agency. A copy of the electricity supplier's letter of acceptance/billing arrangement shall be provided to the Competent Authority before entering into formal license agreement.
- (7) The electrical installation work shall be performed by a licensed electrical worker in accordance with the relevant Electricity Regulation and the Wiring Rules and as per the relevant electricity suppliers.

- (8) Adequate insulation and protection equipment and procedures shall be in place to protect maintenance and service personnel working on either the Outdoor Media Device or the road lighting circuit. For earthing, a separate earth electrode shall be used, and active and neutral conductors shall be used only for supply from the supply point.
- (9) A sketch plan shall be submitted to Competent Authority showing the location from where the electricity is being drawn along with position of various other ancillary requirements, duly signed by a qualified electrical engineer practicing in same field.
- (10) A copy of the electrical contractor's test certificate shall be provided to the Competent Authority. The switching device shall be of a type approved by the electricity supplier. Electrical components shall be in accordance with relevant Indian Standards.

CHAPTER-IX

INDICATIVE LIST OF PROHIBITED AREAS AND NEGATIVE OUTDOOR ADVERTISEMENT

31. Prohibited areas.—

No Advertisements or Outdoor Media Devices shall be allowed in the following areas:

- (1) In front or / inside the compound of/on the walls of any-
 - (a) Building of archaeological, architectural, aesthetically, historical or heritage importance;
 - (b) Statues, minarets or pillars of heritage importance;
 - (c) Educational institutions;
 - (d) Traffic Islands.
- (2) In exceptional circumstances, the Municipal Authority in consultation with the relevant authority would consider applications on a case-by-case basis. For example – for tourist service/accommodation businesses, Outdoor Media Devices may be permitted as part of a regional tourist plan.
- (3) The Municipal Authority has the power to add the specific area in Prohibited List of Area for Outdoor Media Device.

32. List of negative advertisements.—

The advertisement consisting/exhibiting any one or more of the following shall be deemed to be negative advertisement for the purpose of these Rules.

- (a) Nudity;
- (b) Racial or communal or propagating caste, community or ethnic difference;
- (c) Promoting drugs, alcohol, cigarette or tobacco items;
- (d) Propagating exploitation of women or child;
- (e) Sexual overtones;
- (f) Depicting cruelty to animals;
- (g) Depicting anti national activities;

- (h) Casting aspersion on any brand or person;
- (i) Advertisement banned by any law;
- (j) Glorifying violence;
- (k) Destructive devices and explosives depicting items;
- (l) Weapons and related items (such as firearms, firearm parts and magazines, ammunition etc.);
- (m) Which may be defamatory, trade libelous, unlawfully threatening or unlawfully harassing;
- (n) Which may be obscene or contain pornography or contain an "indecent representation of women" within the meaning of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986;
- (o) Linked directly or indirectly to or include description of items, goods or services that are prohibited under any applicable law for the time being in force, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, the Indian Penal Code 1860; and
- (P) Any other items considered inappropriate by the Competent Authority

SCHEDULE
ADVERTISEMENT LICENSE FEE

I. Agency registration / processing fees.—

Following fees shall be applicable for registration of Advertising Agencies/Owner with Competent Authority:

(1) Agency Registration Fees

Sr. No.	Description	Amount (Rs)
1	Agency Registration Fees	Rs. 10000

(2) Processing Fees

Typology	Description	Processing Fee Per OMD
A	Outdoor Media Devices on Public Transport Services / Street Furniture	Rs. 100
B	Advertising - Outdoor Media Device on Public Transport Systems	Rs.1000
D	Outdoor Media Devices on Commercial Advertising Structures on Private Land	Rs. 1000
E	Temporary Events	Rs. 100
F	Landscape Outdoor Media Devices	Rs. 100
G	Shop Signage	Rs. 100
H	Innovative Advertising	Rs.1000
I	Cinema Advertising - In-Cinema on Screen Advertising Including Slides and Advertisement Films (Moving Advertisements)	Rs. 1000 PER SCREEN
J	Inside Commercial Buildings	Rs. 100

- Note:**
1. Applicable Tax shall be payable over and above the Fees/charges specified above.
 2. The aforesaid fees will be reviewed and notified from time to time by the Competent Authority.
 3. Self Advertisers shall be exempted from payment of registration/processing fee subject to adherence to other provisions of these Rules.

II. Process of license fee determination

(1) License Fee Determination For Typology – A, C and F

- (a) Typology A, C and F shall be developed preferably through Public Private Partnership (PPP) projects on the basis of advertisement master plan/zonal plan by the Municipal Authority. The selected agency shall be expected to bear the cost of making, running and managing of the device / structure. The agency shall pay to the Competent Authority an amount based on open tender process and as per the terms of agreements and conditions of the contract. This selection process shall be typically based on highest payment to the Competent Authority, with the safeguards that highest performance standards are set out in the concession/authorisation agreement as part of contractual obligations.
- (b) In specific cases, where the land belongs to Railway/Airport Authority of India/Government/Semi Government, etc., the agency who is erecting the Outdoor Media Devices shall pay the applicable license fee as per Typology - D license fee determination.

(2) License Fee Determination For Typology - B

Public Transport Systems are essential for any city and it is the endeavour of the Competent Authority to actively promote the same. For these reasons a separate Public Transport System category is envisaged under these Rules, wherein certain concessions as well as ease of doing business have been provided to ensure that outdoor media on Public Transport Systems get appropriate occupancy leading to a more improved and sustainable Public Transport Systems.

(3) For Typology - B - Public Transport System (Rolling Stock)

Sr. No.	Description	Revenue Share With Competent Authority
1	Buses / Rolling Stocks Owned Or Operated By The Government Authority Or Municipal/Competent Authority	Exempted

(4) For Typology - B - Public Transport Vehicles (Private) (Rolling Stock)

Sr. No.	Description	License Fee (Rs)
1	Private Buses	As Decided By The Municipal Authority. (Minimum Rs, 1000 Per Month Per Bus)
2	Radio Taxi, Cars and All Kinds of Rickshaw Solely Used For Advertisement	As Decided By The Municipal Authority. (Minimum _ 1000 Per Month Per Vehicle)
3	Auto Rickshaw, E-Rickshaw	As Decided By The Municipal Authority. (Minimum Rs, 250 Per Month Per Vehicle)
4	Manual Rickshaw, Hand Carts, Hawkers	As Decided By The Municipal Authority. (Exempt Maximum Permissible Size: 0.5 Sq Mt)

(5) License Fee Determination For Typology - D - For Outdoor Media Device On Private Land

The Licence Fee shall be minimum of 4% of the value of the Collector Guideline Rate in Rs/Sq Ft/Per Annum or as decided by Municipal Authority above than the minimum 4% of the value of the Collector Guideline Rate.

(6) License Fee Determination For Typology - E - For Temporary Events

Sr. No.	Description	License Fee (Rs)
1	At Venue - Maximum Size of 5M X 3M	Rs. 5000 Per OMD / Per Instance Subject To A Maximum Period of 1 Month
2	Other Locations (Related to Event) - Maximum Size of 3M X 2M	Rs. 2500 Per OMD / Per Instance Subject To A Maximum Period of 1 Month

(7) License Fee Determination For Typology - G - For Shop Signages

Sr. No.	Description	License Fee (Rs)
1	Maximum Height 3 Ft X The Width Of The Shop (Only For Self Advertisement)	Exempted
2	Beyond The Size And Condition Indicated In Point 1 Above	As Per The Typology D Licence Fee

(8) License Fee Determination For Typology - H - For Innovative Advertising

Sr. No.	Description	License Fee (Rs)
1	Innovative Advertising	As Decided By The Municipal Authority. (Minimum Equal To Typology D Licence Fee)

(9) License Fee Determination For Typology - I - In Cinema On Screen Advertising

Sr. No.	Description	License Fee (Rs)
1	Cinema Advertising	As Decided By The Municipal Authority. (Minimum Rs, 5000 Per Month Per Screen)

(10) License Fee Determination For Typology - J - Inside Commercial Building Or Public Building

Sr. No.	Description	License Fee (Rs)
1	Inside Commercial Building	20% Of The License Fee Applicable For Typology D

FORM-I
Application Form For Registration

Registration For Display of Outdoor Advertisement

1. Name of Owner of the Property /Agency: _____

2. Registered Address: _____

3. Telephone/Mobile Number: _____
4. Business Phone Number: _____
5. Fax: _____
6. E-Mail: _____
7. Details of The Owners / Directors/Proprietor/Partners:
- | Sr. No. | Name | Mobile Number | E-Mail |
|---------|------|---------------|--------|
| (i) | | | |
| (ii) | | | |
8. Type of Entity: _____
9. PAN: _____
10. Service Tax Number: _____
11. Registration Amount: _____
12. The Applicant Owner/Agency/Director has not been Debarred/Blacklisted by any Government Entity or by any Competent Authority: YES _____ No _____
13. If Yes please specify: _____
14. The Applicant Owner /Agency/Director has no pending dues towards Municipal Authority: (Attach No Dues Certificate From Municipal Authority)

I/We shall hereby abide the terms and conditions and guidelines of Madhya Pradesh Outdoor Advertisement Media Rules, 2016 or any other regulations framed by the Competent Authority. Also the information listed above is true and genuine and in case of adverse findings related to this, the registration shall stand cancelled.

Authorised Signatory

Form-II

Application Form For Approval of Outdoor Media Devices

(Applicable for Outdoor Media on a Private Property)

- Name of Owner/Agency Applying:
- Owner/Agency Registration Details: (Registration ID)
- Contact Person:
- Contact Details: Landline: _____ Mobile No. _____ Fax No. _____
- Type of OMD (mark the relevant type and complete the information)

Typology	Description	Height (M)	Width (M)	Area (Sq M)	No of OMDs
----------	-------------	------------	-----------	-------------	------------

1. Is the sign single or double sided:
2. Illumination applied for: YES / NO. Type of Illumination: External / Internal / Other
3. Position / Location of OMD:
4. Street Address:
5. Describe position on the site/Property:
6. Application Processing Fee:
7. Application Processing Fee Demand Draft / Cheque Details:

Signed by (the Applicant /Agent)

Date:

Signature:

Date:

Note: - This is a standard format only.

FORM-III

Application Form For Annual Renewal of Outdoor Advertisement License

No. _____

Date: _____

To,

Subject: Annual Renewal of License fee of Outdoor Media Device for Display of Outdoor Advertisement.

Reference: Your Application No. _____ Dated: _____

Dear Sir,

This is with reference to our OMD Number _____, regarding renewal of Outdoor Media Device with the Competent Authority for display of outdoor advertisements.

We, hereby, apply for renewal of the OMD as per the Outdoor Media Rules, 2016:

The Annual renewal License fee of Outdoor Media device for Display of Outdoor Advertisement vide company ID is (In Figures)Rs. _____ (In Words) _____

Typology	Type of OMD	Location	Size	Annual License Fee

Thanking You,

Authorise Signatory

S/d

Note: - This is a standard format only .

FORM-IV

Letter For Acceptance OR Rejection of Application For Registration

No. _____

Date: _____

To,
_____**Subject:** Registration for Installation of Outdoor Media Device for Display of Outdoor Advertisement.**Reference:** Your Application No. _____ Dated: _____

Dear Sir,

This is with reference to your application regarding registration with the Competent Authority for installation of an Outdoor Media Device for display of outdoor advertisements.

It is informed that following decision has been taken in consideration of your application:

1. Your application for registration is approved and unique id allotted to you is _____
Please use the same for all future correspondence with the Municipal Authority and for activating your account on the website of the Municipal Authority.

2. Your application for registration is rejected on account of the following:

- a. Incomplete application.
- b. Incorrect information provided
- c. Pending dues (if any)
- d. Blacklisted status not verified
- e. Others _____.

Thanking You,

Authorised Signatory
S/d

Note: In case of rejection of application you may apply fresh on satisfying the above-mentioned conditions.

Note: - This is a standard format only .

FORM-V

Letter of Intent (IOI)

No. _____

Date: _____

To,
_____**Reference- Submission** of License Fee of Outdoor Media Device for Display of Outdoor Advertisement.

Dear Sir,

This is with reference to your application regarding registration with the Competent Authority for installation of an Outdoor Media Device for display of outdoor advertisements.

It is informed that following decision has been taken in consideration of your application.

Your application for registration is approved and unique id allotted to you is_____. Please use the same for all future correspondence with the Municipal Authority and for activating your account on the website of the Municipal Authority.

The License fee of Outdoor Media device for Display of Outdoor Advertisement vide company id. ___

Typology	Type of OMD	Location	Size	License Fee

Kindly submit the Licence Fee within 7 days.

Thanking You,

Authorised Signatory

Sd/-

Note: - This is a standard format only .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
राजीव शर्मा, अतिरिक्त सचिव.